>

Title: Further discussion on the resolution moved by Dr. Asim Bala on the 17th July, 1998 regarding rehabilitation of sick public sector undertakings. (Contd.-Not Concluded).

1458 hrs

MR. CHAIRMAN (DR. LAXMINARAYAN PANDEY): Now I request Shri Kharbela Swain to speak.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, the Private Member's Resolution on which we are going to discuss today reads as under:

"This House urges upon the government to take concrete and effective steps to rehabilitate the sick Public Sector Undertakings under the control of the Central Government and formulate a comprehensive policy to improve the functioning of the Public Sector Undertakings"

Sir, while I oppose this Resolution moved by the hon. Member, Dr. Asim Bala, my basic question to this Resolution is, why should the Central Government go for the comprehensive policy to improve the functioning of the public sector undertakings.

Dr. Asim Bala, while moving this Resolution, has said that all the public sector undertakings should be improved. What is its meaning?

15.00 hrs.

The meaning is, Government should go on providing money to all the loss-making public sector enterprises. Sir, I will just now give you two or three figures. In 1996-97, the number of operating enterprises was 236. The total capital employed in all these public sector undertakings was Rs.2,020,21 crore. The net profit of all these 236 enterprises is Rs.10,257 crore. The profit-making enterprises come to 129 in number. The profit amount comes to Rs.16,120 crore. The loss-making enterprises come to 104 in number. The less amount comes to Rs.5,862 crore. I am just asking a question. Of the investment to the tune of Rs.2,020,21 crore, we are just making a profit of only Rs.10,257 crore. The percentage of net profit is coming to 5.1%. It is a question of the business. Will any businessman invest his money for a meagre profit of 5.1 per cent per year? Out of the 236 public sector enterprises, now 129 enterprises are making profits and 104 enterprises are making losses. Almost about 50 per cent of the enterprises is loss-making enterprises. I do not know if anywhere in the world, any Government is incurring a loss of about 40 to 50 per cent of the enterprises in which it has invested. I am really very surprised when even some of our hon. Members say that Government should go on providing money.

Sir, I am asking a question. What is the job of a Government? Is the Government an administrator? Or, is the Government a business man? What is this Government? Yes, I agree there are certain areas where the Government, the public sector will have to go and invest. When initially India became a free country, it got its freedom in 1947. Then there were so many fields like steel where heavy investment was required and where the private sector was unwilling to come. So, the Government came forward with the money. I do not say that the public sector undertakings should be abolished at one go. If not today, tomorrow the Government will have to invest some money in public sector undertakings. There are certain public sector undertakings. Let us take the example of oceanology. There are sectors like oceanology where heavy investment is required, and, there is a long gestation period for making profits. So, in those cases, the Government will have to invest the money. So, not only now but also in future the Government will have to go for space technology and oceanology where the Government investment is required. But why should the Government be a hotelier? Why should the Government go for making bread? There are even so many States which have invested money in poultry. Is it the job of the Government to go for making bread? Is it the job of the Government to build hotels? It is not a surprising matter that Government is making heavy losses basically in these sectors. I just mean to say that because of this type of huge losses that the Government had incurred, the Government went in for a Disinvestment Commission.

The Disinvestment Commission found certain reasons which were counted as the problems of the public sector enterprises. There are a number of reasons, that is, (i) low productivity, (ii) poor track management skills, (iii) over-manning, (iv) lack of technological upgradation, (v) inadequate attention to research and development; and (vi) low priority to human resource development. Basically, these six aspects form the problems of the public sector enterprises. The Disinvestment Commission recommended that up to 20 per cent of the Government equity in selected public sector enterprises would be offered to mutual funds and financial investment institutions. The Commission also identified some core and non-core sector companies where Disinvestment Commission could go up to 49 per cent in core sector and up to 74 per cent in non-core sector.

Now, I will just mention three or four other reasons as to why the public sector enterprises did incur loss. One of the reasons is less mobilisation of internal and extra budgetary support. The mobilisation of internal and extra budgetary support was well below the level projected in the Fifth Plan. This led to slow down in disinvestment and growth plan of the public sector enterprises. It led to a very serious consequence. There was no upgradation of the technology, modernisation of the plants and there was no plan of expansion. Ultimately, the diversification of the public sector enterprises was affected.

There was another reason also. That is the fall of budgetary support. As we all know, the fiscal deficit in the Union Government is going up for the last so many years and every year it is going up. Sometimes, it has gone up to seven per cent. There are even so many States where the fiscal deficit is up to eleven per cent of the GDP. Because of the widening of the fiscal deficit, the budgetary support which was 32 per cent in 1990 came down to 13 per cent in 1995. So, that was another reason. There was no money available for further investments in areas like technological upgradation and research and development. There was no money for expansion and this led to further loss in loss making enterprises.

There is another basic reason which I will just bring to your kind notice and that is about the increase in competition. Initially, when the public sector enterprises were set up by the Government, virtually there was no competition. Later on, the private sector people came forward with heavy investment in those sectors, which were not exclusive for the Government. Let us take the example of steel. The Tata Company came. The Tata steel plant and the Rourkela steel plant are almost contiguous and hardly there is a gap of about 150 kms between Tata Nagar and Rourkela. So, the Tata company invested heavily and it competed with the Rourkela steel plant and with other steel plants. It is very natural that this resulted in increased competition. It went not in favour of the public sector enterprises.

It went in favour of the private sector enterprises because these sectors were not exclusive for the Government. It was not a monopolistic sector like the Airlines or the Railways that Government could increase the money at any time or they had the power to fix the rate of their product as per their own sweet will.

The losses in the loss-making public sector enterprises account for about 60 per cent of the total direct budgetary support and, year after year, this is going to increase. There is intense competition due to deregularisation and globalisation and also because multinational companies and companies in other countries, which entered our market, produce the same thing. They also want to send their materials or products to India. This has led to intense competition. Ultimately, this has affected even the profitability of the profit-making concerns. In other words, the competition not only affected the loss-making enterprises but even the profit-making enterprises. The enterprises which were considered to be profit-making, all of a sudden, were braking even. They did not earn any profits and they were braking even.

Therefore, there is a need for the disinvestment. I do not agree with the Resolution that the Government should go on just providing the money to all sorts of loss-making enterprises. After all, it is the Government's money and why should the Government go in for this?

Now, I will mention two points. The disinvestment is required to provide financial discipline in not only the loss-making enterprises but even in the profit-making public sector enterprises. If we go through the process of disinvestment, this will improve the performance of the public sector enterprises because they will bring in a sense of financial discipline. They will no more think that they are a monopolistic sector and the Government

will go on providing the money till eternity. Secondly, the disinvestment makes the much scarce capital available for investing it or putting it to alternative use in other public sector enterprises of greater importance.

Lastly, this year, with a target of Rs. 5,000 crore from the disinvestment, the Government is expecting Rs. 8,000 crore. The hon. Finance Minister told the other day that the Government is going to earn Rs. 8,000 crore. Our condition is so bad that even if we are going to sell the equities, nobody is coming forward to buy them. This is one of the reasons why the Government should not wait for the Sensex in the Stock Exchanges to go up. It should not wait for that and instead it should sell the equities now itself and utilise the money in other public sector where the private sector are not willing to come forward.

With these words, I thank you very much.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, I thank Dr. Asim Bala for bringing this important Resolution on revival of sick public sector undertakings.

We have been discussing this issue in the House for the last several years. We have been facing this problem since 1991 when the policy of economic liberalisation was adopted by the Government of India. After Independence, we adopted an Industrial Policy Resolution in 1948 and then again in 1956. The attempt of the Government was to change the industrial policy which we adopted in 1956. We did not agree to all the points of the industrial policy of 1956. But we agreed to one important aspect of that policy, that is, the policy of self-reliance. The policy of self-reliance has been given a go-by now.

The aim of our struggle for independence was not just to achieve freedom. Our freedom fighters wanted that along with freedom there should be less and less infiltration of foreign capital and that we should achieve self-reliance. That was why, the concept of public sector as a policy was adopted after we achieved our Independence. It was not because we wanted to go towards socialism that it was done. It was because we wanted to achieve self-reliance; it was because we wanted to strengthen our country; it was because we wanted that we should have our own control in certain important sectors like the core sector that it was done. That was why the core sector was reserved for the public sector.

We can divide our public sector into two categories. One category is of those industries which have been in the public sector since inception. When they were set up, they were set up in the public sector. In the other category, there are a large number of industries which originally belonged to private sector. When these industries became sick, the Government of India took over them and subsequently nationalised them. What happened after nationalisation of some of these industries? No modernisation took place. When we adopted the policy of liberalisation, when we opened our doors and started inviting multinational companies in, and when we started saying that we should face competition, how could we face competition? With which company could we compete?

I can give you a few examples like that of IISCO, the Indian Iron and Steel Company.

Both these steel plants -- Tata Steel Plant and the IISCO in Burnpur -were set up almost simultaneously, in one year. IISCO was taken over by the Government of India in seventies. They nationalised it in 1978 by an Act of Parliament. But after nationalisation, not even a single paisa was invested over there for replacement of the age-old machinery and plants. Not even a single paisa was spent over modernisation of this plant. We have been clamouring for the last 15 to 20 years for the modernisation of this industry.

Sir, without modernisation and with the age-old machinery how can an industry compete with the modern and uptodate technology, with the multinationals? The glaring example is the Hindustan Cables about which hon. Shri Sikandar-ji knows well. It had the monopoly shares. Upto 1993, it was earning profit. But since 1994 it has become sick. It has four units with two major units, one at Rupnarayan Pur and the other at Hyderabad. It has about 5,000 to 6,000 workers employed there. Now, the multinationals are allowed to compete with the Hindustan Cables. They used to enjoy monopoly. But that monopoly is not there now.

About the plant at Rupnarayanpur which is the original plant, the mother plant, the Government of India took five years to decide for the setting up of a new plant, Jellyfield Cables.

I can give another example of Scooters India. The hon. Minister also knows about it well. Sir, a decision was taken by the Government of India to close that unit down. We, on the floor of the House, had raised that issue. Then the Government of India in 1985 or 1986, changed its decision. What was the problem with the Scooters India? Bajaj was allowed to have collaboration with a foreign company. Bajaj was allowed to do modernisation, to have investment for uptodate technology. But the Scooters India was not allowed to do all this. This way, how can the Scooters India compete with modern scooter industry?

After the Government changed its decision and decided not to close it down, it could be revived. Now, it is earning profit. So, if the Government tries to revive a sick industry, it is not a fact that it cannot be revived. It can be revived.

Sir, we are surprised to see and we did not expect that the eight public sector units, out of which the six are located in the State of West Bengal, will be closed down. Suddenly, the Government took a decision to close them down. Only one month back, we had a meeting of the Consultative Committee where we were informed that out of those eight units, at least, three were still under the BIFR.

BIFR has not given its final product. MAMC is a very important and vital engineering industry located in the State of West Bengal. Obviously, both HEC and MAMC were together. They were separated. Both used to manufacture the same product mix. They manufacture underground machinery. If HEC can be revived, if Government of India can spend Rs.131 crore to revive HEC, why cannot MAMC be revived which has the same product mix? Both are engineering companies.

That Coal India Ltd.which is also a public sector company, used to import four years back spare parts to the extent of Rs.500 crore. We suggested to them to give order to MAMC and they will manufacture and diversify so that the company could be revived. The revival plan was prepared. Why has BIFR decided to wind it up? It is because Government of India is the promoter and is the owner of the company. If the owner of the company shall refuse to be the promoter of that company, if the owner of the company refuses to undertake the responsibility to implement and execute the revival package prepared and approved by BIFR, what could BIFR do? If Government of India refuses to become the promoter of the company and to take the responsibility, what BIFR could do? After three years of deliberations when Government of India refuse to take up the responsibility, BIFR decided that it should be wound up. Not that the company cannot be revived. We have abundant reserve of coal for 50 years and underground coal is far better than overground coa and surplus coal. China is now producing 1,000 million tonnes of coal out of which the underground coal is at least 40 to 45 per cent. If China can produce coal from underground mining with Longwal mining machinery, then MAMC can manufacture Longwal mining machinery and this company can be revived. BHEL is the only company in our country to manufacture flint button. Defence requirement is there. What is the total requirement for the revival of this company?

It would cost only Rs.20 crore to Rs.25 crore. Do you not have that much money to spend on this? We are importing it from China and Russia. The Government of India has reduced the customs duty on flint button from 80 per cent to 20 per cent. Now, imported flint button is cheaper than our own product just as imported coal is cheaper than our indigenous coal.

You are destroying and ruining our indigenous industry.

आपकी क्या स्वदेशी नीति है हमारी समझ में नहीं आता।

Can BOGL not be revived? Can it not be made profitable? There is no need for that now because you have already got about Rs.1,000 crore by way of excise from these public sector undertakings.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

श्री बसुदेव आचार्य : हां, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, हमें ट्रेन पकड़नी है, हमें भी जल्दी है। लेकिन जो जरूरी चीज है वह बोलनी चाहिए। सिकन्दर बख्त साहब जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें याद दिला दें।

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): आचार्य साहब, क्या आप अपनी बात कहकर चले जायेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : आपसे फिर कभी सुनेंगे।

There was a joint venture proposal of the Cycle Corporation of India. It was working well and suddenly the hon. Minister came to the conclusion that it has to be closed down. At twelve o'clock in the night, I got a message from Delhi that the Government of India has decided to close down eight public sector undertakings.
Today, we met the Prime Minister. We saw in the newspapers ten days ago that it has been stalled. We thought that we will find something in the Budget.

सर, कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं दिया गया, मंत्री जी एक पैसा नहीं दिया गया। आपने इसे कैसे स्टॉल किया, आप साफ-साफ बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं?

हमारी मांग है कि आप इसे बंद मत कीजिए। हम दुर्गापुर गये थे, हजारों मजदूरों के सामने हम बोले। आप यह कारखाना क्यों बंद करना चाहते हैं। क्या हम इसे रिवाइव नहीं कर सकते? जो सामान वहां बन रहा है क्या उसकी जरूरत नहीं है, क्या वह खत्म हो गया

है। हम इसे रिवाइव कर सकते हैं। रिवाइवल के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी।

The cost of closing down is more than the cost of revival. The cost of revival is only Rs.400 crore while the cost of closing down is Rs.600 crore.

आप क्या करना चाहते हैं। रिवाइवल के लिए आपको चार सौ करोड़ रूपये लगेंगे और लगभग छः सौ या सात सौ करोड़ रूपये खर्च करके आप इसे बंद करना चाहते हैं, ऐसा कैसे चलेगा।

I will urge upon the hon. Minister of Industry to rethink and re-examine. He has given three months' time. We have seen in the newspapers that a high-powered committee is being constituted by him. I do not know who will be the members of that committee.
The Government should clarify its stand. The Government should try to revive all these eight public sector undertakings of which six are located in the State of West Bengal. The Government should change its policy. It should not weaken the policy of self-reliance. Our first Prime Minister used to call the public sector undertakings as the `temples of modern India'.

आधुनिक भारत का नया मंदिर, इसे खत्म मत करो, इसे स्ट्रैंथन करो। इसे स्ट्रैंथन करने से हमारा देश मजबूत होगा। यही कहते हुए हम फिर मांग करेंगे कि जब आप जवाब दें तो साफ-साफ बतायें कि जो आठ सार्वजनिक उपक्रम बंद करने का फैसला लिया गया था, उसमें आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं और केवल परिवर्तन ही नहीं करेंगे, उसे रिवाइव करेंगे, उसे वर्किंग कैपिटल देंगे। वहां जनवरी महीने से तनख्वाह नहीं मिली है।

The workers of these eight public sector undertakings are not getting their salaries since the month of January.

तो वे करेंगे। यही कहते हुए, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए, सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं।

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत जल्दी ही बोलने का मौका दिया। डा. असीम बाला जो रैजोल्यूशन लाये हैं, मैं हार्दिक रूप से इसका समर्थन करते हुए सिर्फ कुछ बातें कहूंगा, क्योंकि कुछ समय पहले बसुदेव बाबू ने भी इसके समर्थन में बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

एक बात जो सरकारी पक्ष में है, उनको याद करवाना चाहता हूं कि एक साल पहले जब यह नई सरकार बनी तो उस वक्त हमारे इस हाउस में ऐसा एक माहौल था, जैसे ५० साल की आजादी के बाद हमने नई आजादी ली, जब हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे थे, स्वर्ण जयन्ती का वर्ष खत्म हो रहा था, उसी समय ऐसी आवाज गूंज रही थी कि फिर से हम नया भारत बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हर एक बात में स्वदेसी की बात थी, हर एक बात में स्वनिर्भरता, हर बात

में स्वाभिमान वगैरह की बात गूंज रही थी। यहां तक कि जब हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट रखा तो उसमें भी उन्होंने इन बातों को बजट में जगह दे दी तो हमने सोचा, हमारा ऐसा ख्याल था कि शायद हम फिर नये सिरे से भारत को बनाने का एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब सरकारी पक्ष से अभी जो उड़ीसा के माननीय सदस्य बोल रहे थे। आजादी के बाद हमारे जो पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू थे, उन्होंने भी स्वदेशी और सैल्फ रिलायंस पर जोर दिया था। हम उस वक्त भी विरोधी पक्ष में थे और आप भी उस वक्त विरोधी पक्ष में थे, हम सब ने मिलकर यह बात तय की थी कि हमें पंच वर्षीय योजना बनानी है और उन योजनाओं में कभी उद्योग पर, कभी कृषि पर, जब हम जैसी जरूरत समझेंगे, उस पर हम अपनी पहल करेंगे, उस पर हम अपना कदम बढ़ाएंगे। उद्योगों में, दूसरी चीजों में हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, यह आवाज सिर्फ हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू की ही नहीं थी, बल्कि जहां तक हमें याद आता है, शायद समूची लोक सभा की, समूची संसद की उन दिनों यही आवाज थी। उसके ५० साल बाद जब नई करके वही आवाज सुनी तो हमारे दिल में ऐसा महसूस हुआ कि हम कोई नया कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नया कदम तो बहुत दूर, बल्कि आज मार्डनाइजेसन के नाम पर हम देश को विदेशियों के हाथों में देने का बन्दोबस्त कर रहे हैं।

अभी-अभी बसुदेव बाबू २५०० करोड़ रुपये की चर्चा कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हावड़ा जिले में सदगछिया में गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रैस की सिर्फ अगर मशीन बदली जाये तो उसमें सिर्फ चार करोड़ रुपये लगेंगे।

मुझे याद है जब दसवीं लोक सभा में हम सदस्य थे तो मैं अर्बन एंड रूरल डवलमेंट कंसलटेटिव कमेटी का सदस्य था। उस समिति की मीटिंग में स्वीकार किया गया कि चार करोड़ रुपए देकर सदगछिया प्रेस को रिवाइव किया जाएगा, जिससे हम उस मिल से लाभ लेने की स्थिति में आ सकें। यू.आर.डी. की स्टेंडिंग कमेटी में भी सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम चार करोड़ रुपए भी नहीं खर्च कर सके। हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन यह किसके पैसे से चलता है, क्या सिर्फ प्राइवेट मालिक के पैसे से चलता है, नहीं, इसमें सरकार का भी योगदान रहता है और हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी बड़ा हिस्सा लगा होता है, जो रूपए से इसकी मदद करते हैं। लेकिन हम अपने उद्योगों को लाभ की स्थिति में नहीं ला पा रहे हैं और इसके उपाय खोजने पर भी विचार नहीं करते। हमने सिर्फ बी.आई.एफ.आर. बना दिया है। उसके पास हम मामला भेज देते हैं। सालभर तक वह मामला वहीं लटका रहता है, फिर उसके ऊपर फैसला होता है। हमें किन-किन चीजों का आधुनिकीकरण करना है, किनकी मशीनरी बदलने से हम उत्कृष्ट सामान तैयार कर सकते हैं और उस माल को बाजार में बेचकर अमुक कम्पनी को कैसे प्राफिटेबल बना सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

अभी हमारे साथी बसुदेव बाबू मिसाल के तौर पर दुर्गापुर के बारे में कह रहे थे। उसको बर्बाद करने में जितना पैसा खर्च हुआ, उससे कम पैसे से उसका अगर आधुनिकीकरण कर दिया जाए तो हम उससे स्वावलम्बन की भावना सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे सत्ता पक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे साथी असीम बाला जी ने जो संकल्प यहां रखा है, मेरा निवेदन है कि सरकारी पक्ष को भी उस पर ध्यान से सोचना चाहिए और संसद में सभी मिलकर हम इसे पारित करें, जिससे एक नए भारत की, स्वदेशी पर आधारित भारत का हम निर्माण कर सकें।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, डा. असीम बाला ने यह संकल्प लाकर देश पर उपकार करने का काम किया है। जो पब्लिक सेक्टर में यूनिटस बीमार हैं, बंद पड़ी हैं, नीचे जा रही हैं, उस पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वे यह संकल्प लेकर आए हैं। यह मानसिकता और विचारधारा से जुड़ा हुआ सवाल है। जब देश आजाद हुआ तो तय हुआ कि मिक्स्ड इकोनोमी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा और पब्लिक सेक्टर भी चलेगा।

लेकिन प्राइवेट सैक्टर वालों में कितनी ताकत है और उनकी लॉबी, उनका जाल, उनका विस्तार इतना भारी है कि वे बराबर इस ख्याल में रहते हैं कि किसी हालत में पब्लिक सैक्टर को खराब कर दिया जाए, इसे निरुत्साहित किया जाए और इसे डिस-क्रैडिटेड कर दिया जाए जिससे कि निजी पूंजीपतियों के पॉ-वारे हो जाएं। हम नहीं जानते हैं कि इस सरकार का इनसे कितना तालमेल है? यह पब्लिक सैक्टर को मजबूत और जिन्दा करने के लिए ज़ोर लगा रही है, इसलिए यह मानसिकता का सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी रहे क्योंकि देश में १,९३,००० करोड़ रुपया पूंजी लगी हुई है और २३ लाख कर्मचारी

उसमें काम कर रहे हैं और २३ प्रतिशत जी.डी.पी. में इसका कांट्रीब्यूशन है। जिसका इकॉनोमी में इतना भारी हिस्सा है और लोग चाहते हैं कि इसे डुबा दिया जाए। सरकार पूंजीपतियों के चंगुल से हटे और पब्लिक सैक्टर को मजबूत करने के लिए कमर कसे।

ये पब्लिक सैक्टर और एंटरप्राइजेज जितने हैं, ये ऑटोनॉमस हैं। इसमें बाहर से सरकार हस्तक्षेप न करे और इसमें इनके अफसर सर्वेसर्वा हैं। कहते हैं कि ब्यूरोक्रैटस बड़े काबिल होते हैं। इनके डायरेक्टर और चेयरमैन सब बड़े काबिल होते हैं। इसमें इतनी पूंजी लगी हुई है तो फिर वह क्यों डूबा रहता है? सवाल यह है कि जिनकी काबिलियत की ठेकेदारी है फिर भी वह चौपट हो रहा है? कहा जाता है कि पोलिटिकल लोग बिगाड़ देते हैं लेकिन वे क्या बिगाड़ देते हैं, यह तो ऑटोनॉमस है। उसमें पॉलिसी मैटर भी कोई देखेगा या नहीं देखेगा, तब भी यह सिक हो रहा है। यशवंत जी दुनिया के लोगों को अंग्रेजी में सुनाते हैं। हिन्दुस्तान के लोग, जिनके लिए यह बजट है, उनको हिन्दी में न सुनाकर यह दुनिया के लोगों को सुनाते हैं। इस मानसिकता की मैं बात कर रहा हूं। लोग समझते हैं कि जो अंग्रेजी में बोलता है, वह ज्यादा काबिल होता है और जो देशी भाषा बोलता है, वह गांव का है, यह मानसिकता की बात है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): राममूर्ति जी बताते हैं कि वह अंग्रेजी में समझेंगे

... (व्यवधान)

सिर्फ आप हिन्दी में समझते हैं, इसलिए आप बोलेंगे कि अंग्रेजी में नहीं बोलिए।

... (व्यवधान)

तमिल में बोलेंगे तो क्या आप समझ लेंगे? आप हिन्दी जानते हैं, इसलिए आप बोलते हैं कि हिन्दी में बोलें।

... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हिन्दुस्तान में जो अंग्रेजी में बोलता है, वह ज्यादा काबिल होता है और जो देशी भाषा बोलता है, वह काबिल नहीं होता है, यह मानसिकता है और इसी पर हम हमला करना चाहते हैं। हमें एक कागज मिला है, उसमें कहा है कि सिक यूनिट को जिन्दा करने के लिए वॉलन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम को लागू किया जाएगा लेकिन उसमें बहालियां ज्यादा हो जाती हैं। उसमें मिस-मैनेजमेंट, फ़िजूलखर्ची हो जाती है और उसके अफसर अपने को शहंशाह समझते हैं। उसमें पैसे की कमी, उत्पादकता में कमी, ये सब बातें हैं। इस पर बड़ी छानबीन हुई है लेकिन सरकार के लिए आश्चर्य की बात है।

The Government has been providing budgetary support for rationalising man power under voluntary retirement scheme. However, such assistance has generally been restricted to loss-making enterprises.

इसका मतलब है कि ये एंटरप्राइजेज तरक्की में हैं, उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू हो, उसको मजबूत करेंगे और जो सिक हैं, उनको चौपट कर देंगे, यह सरकार का मतलब है। यह कागज मिला है, हमें आश्चर्य होता है।

इस तरह से सिक युनिट को जिन्दा करने के लिए सरकार को खड़े होना चाहिए। पब्लिक सैक्टर कमजोर न हो, उसके लिए उपाय करने चाहिए, बजटरी सपोर्ट करना चाहिए। उसमें कमिटिड आफिसर्स को भेजना चाहिए, जो पब्लिक सैक्टर को बढ़ाने वाले हों और अगर प्राइवेट सैक्टर में दलाल चला जाएगा, क्योंकि इस सरकार में बहुत दलाल लोग हैं। इस पर जब बहस हुई थी तो उस समय यशवंत सिन्हा जी छटपटा रहे थे। यह सारी साजिश है कि किस तरह से देश को रसातल में ले जाया जाए।

महोदय, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

SHRI SATYA PAL JAIN (CHANDIGARH): Sir, I am on a point of order. The hon. Member has used the words:

कि इस सरकार में बहुत सारे दलाल हैं, मैं समझता हूं कि रघुवंश जी बहुत सीनियर मेम्बर हैं उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

... (व्यवधान)

वे अपने शब्द वापिस लें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या दलाल शब्द अनपार्लियामेंट्री है? ... (व्यवधान)

सभापति महोदय :अगर उनको आपत्ति है तो वह अपने शब्द वापिस ले लें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :ठीक है।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : महोदय, दलाल शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : जैन साहब वकालत करते हैं, हम नहीं जानते कि वह वकालत करते हैं या नहीं लेकिन वह बीच में खड़े हो जाते हैं।

... (व्यवधान)

महोदय, फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया नेट लास ५३८ करोड़ टॉप १० लास मेकिंग एंटरप्राइसेस में है।

... (व्यवधान)

महोदय, फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में सिंदरी कारखाना है और यह एशिया में खाद बनाने के लिए नम्बर एक कारखाना है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है। यहां केमिकल खाद, रासायनिक खाद की जरूरत होती है। यहां फॉरेन एक्सचेंज कितना खर्च होता है। हमारे देश में गरीबी का यह भी एक कारण है, हमें विदेश से खाद मंगाना पड़ता है। मंत्री जी चले गए हैं।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह मुझ से अनुमति लेकर गए हैं। पटेल जी यहां बैठे हैं वह आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, सिंदरी खाद का कारखाना है और नामरूप तथा बरौनी भी खाद का कारखाना है। यह बीआईएफआर में गया, रिपोर्ट हुई और पैकेज बना। वह अच्छा कारखाना चल रहा है लेकिन उसकी हालत में सुधार करने के लिए, वह अच्छे लाभ में चले इसके लिए बीआईएफआर में रिपोर्ट दी और पैकेज बना। सिंदरी और नामरूप का पैकेज बना लेकिन नामरूप का लागू हो गया, उसको पैसा मिल गया, उसके पुनर्वास का काम शुरु हुआ लेकिन सिंदरी का काम शुरु नहीं हुआ। बिहार के साथ इतना भारी भेदभाव हुआ। रीता वर्मा जी यहां नहीं हैं, यह उनका क्षेत्र है। मैं सिंदरी गया था, वहां के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने मुझे कहा कि इतना भारी अन्याय, भेदभाव कभी किसी के साथ नहीं हुआ जितना बिहार और सिंदरी कारखाने के साथ हो रहा है। इसलिए हम सरकार से जानना चाहते हैं कि एक साथ बीआईएफआर में नामरूप और सिंदरी कारखाना दोनों गए और उसकी रिपोर्ट बनी।

उसका पैकेज बना, लेकिन क्या कारण है कि नामरूप का काम चालू हो गया और सिंदरी का रुक गया है। वह कौनसी शक्ति है जो इसे रोके हुए है और इसमें क्या बीमारी है जिसके कारण यह रुका है, हम यह जानना चाहते हैं।

उसी तरह से पी.डी.आई.एल. एशिया में नामी संस्थान है जो कंसल्टैंसी करता है, उसका यह एक विंग है। पहले उसका हैडक्वार्टर सिंदरी में था, उसको बदलकर नोएडा में ला रहे हैं। वहां उसके सुधार के लिए कुछ देंगे नहीं लेकिन वहां जो हैडक्वार्टर था उसको खराब करके नोएडा ला रहे हैं। आपने कहीं इतनी भारी लापरवाही देखी है। कहा जाता है कि हमारे बिहार से तीन मंत्री हैं, यशवंत सिन्हा, नीतीश कुमार और जार्ज फर्नान्डीज़। ये बिहार के बारे में कहते हैं कि वहां धारा ३५६ लगाओ, सरकार को बर्खास्त करो। वहां की दस करोड़ की आबादी के लिए क्या इन्होंने एक बार भी कोई प्रयास किया है, न ही वहां के सांसदों की बैठक बुलाई है। बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। बिहार की सरकार के साथ केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।

सभापति महोदय : इस प्रस्तुत प्रस्ताव पर दो घंटे का समय था जोकि समाप्त होने जा रहा है। अभी सात-आठ सदस्य बोलने वाले और हैं। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्यः ठीक है।

सभापति महोदय : ठीक है, सदन की अनुमति से एक घंटा समय बढ़ा दिया जाता है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, भारत की आबादी का दसवां हिस्सा बिहार है। अगर बिहार पीछे रह जाएगा तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक आई.सी.एस. अंग्रेज लेखक जॉन हिल्टन ने 'बिहार द हर्ट ऑफ इंडिया' नामक एक किताब लिखी है। बिहार का बटवारा हो जाए, धारा ३५६ वहां लागू हो, यह तो आप मंत्री लोग चाहते हैं लेकिन वहां जो बीमार यूनिटस हैं उनको रिवाइव करना आप नहीं चाहते हैं। वहां जो पब्लिक सैक्टर में अंडरटैकिंग्स हैं, भारत सरकार के अधीन हैं उसका पैकेज नामरूप में लागू हो गया लेकिन अभी तक सिंदरी में लागू नहीं हुआ है। मैं सिंदरी और पी.डी.आई.एल के साथ यह अन्याय करने का और पक्षपात करने का सरकार पर आरोप लगाता हूं। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन के अधीन बरौनी कारखाना बंद है, उसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। उसमें सुधार के लिए सरकार क्यों जोर नहीं लगा रही है। यह भी हमारा आरोप है।

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का घाटा १५९ करोड़ है। उसको भी बी.आई.एफ.आर. में भेजने का काम हो रहा है। बी.आई.एफ.आर. ने कहा कि इन सब यूनिटों को बेच दीजिए, तो उसको नहीं बेच रहे हैं। जो ठीक यूनिटस हैं उनके दाम तय करवा रहे हैं लेकिन उसके पैकेज पर चुप बैठे हुए हैं, उसको भी बंद करने के ख्याल में हैं। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले में सरकार साफ बताए कि क्यों इस तरह से इनके साथ अन्याय और भेदभाव का काम हो रहा है। सिंदरी कारखाना खाद का एक मशहूर कारखाना है और देश में खाद की आवश्यकता है। बरौनी कारखाना बंद है। पी.डी.आई.एल. पर भेदभाव कर रहे हैं, सीमेंट कॉरपोरेशन जो चालू है उसको क्यों बेचना चाहते हैं। जो रिपोर्ट बी.आई.एफ.आर. ने दी है तो उसको क्यों नहीं बेच रहे हैं।

16.00 hrs.

इस तरह से उसका अपना ४० करोड़ रुपया जमा है, आप उसे खर्च करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मुझे यह सब जानकारी मिली है। मेरा स्पैसिफिक सवाल यह है कि सिक यूनिटस को दूर करने के लिए आप कमर कसें जिससे पब्लिक सैक्टर न मरे। आज यह पूंजीपतियों के घेरे में हैं। वह चाहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर मालामाल हो जाए और पब्लिक सैक्टर डूब जाए। हम चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर तरक्की करे और आगे बढ़े। इसका देश की इकोनोमी में महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उसका जी.डी.पी. में २३ परसैंट कंट्रीब्यूशन है। इसमें २३ लाख लोग काम कर रहे हैं। इसमें एक लाख ९३ हजार करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। आप इसे दुरुस्त करने की कोशिश करें। मैं इन सब बातों का जवाब चाहता हूं।

DR. T. SUBBARAMI REDDY (VISAKHAPATNAM): Mr. Chairman, Sir, I want to make a small submission. You have extended the time for this Resolution by one more hour and there are eight more speakers who want to participate in this debate. So, after five o'clock we have to take up the next Resolution. I would request you to kindly see that this debate is concluded within an hour.
16.01 hrs.

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं डाक्टर असीम बाला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार और इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण ि वषय की ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। सार्वजनिक क्षेत्र भारत के लिए अभिमान का विषय है। आजादी के बाद जब देश में औद्योगिक वातावरण नहीं था, भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना था तो हमारे देश की सरकार ने अपने संसाधनों को इकट्ठा कर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बनाने और खड़ा करने का एक अभियान चलाया।

16.02 hrs (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the chair)

१९५६ के आजाद भारत में नई आर्थिक नीति आई। उस औद्योगिक नीति के आधार पर एक स्वस्थ प्रतियोगिता, स्पर्धा की बात हमारे देश ने स्वीकार की जिससे सा र्वजनिक क्षेत्र का देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में अपरहैंड रहे। हमने इस सिलसिले को १९९० तक चलाया। १९६८-६९ में देश के सामने कठिन सवाल आया कि देश के बेरोजगार नौजवानों और गरीबों को वित्तीय मदद देकर पैरों पर खड़ा करना है तो इस देश के लोगों को साधन मुहैय्या कराने के जो आर्थिक संसाधन थे, आर्थिक स्रोत थे, वे निजी दायरे में थे। इससे लोगों को सही ढंग से मदद नहीं मिल पाती थी। इसलिए १८ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यदि इन १८ बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो देश के बेरोजगारों, गरीबों और खास तौर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकारी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं को अमल में लाने का काम नहीं हो सकता था। आज भी यदि समीक्षा के तौर पर इस बात को देखा जाए तो सा र्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का यदि सहयोग न हो तो निजी क्षेत्र के बैंक किसी भी हालत में इस देश के बेरोजगार नौजवानों की मदद करने को तैयार नहीं हैं। हमारे सामने जो नॉन बैंकिंग इंस्टीटयूशन के परिणाम आए हैं, उनको देखते हुए हजारों करोड़ रुपया सामान्य इनवैस्टर्स, बहुत से सेना के रिटायर्ड अफसरों का जिन्होंने अपनी सेवा काल के बाद की पूंजी उन नॉन बैंकिंग इंस्टीटयूशन्स में आकर्षक ब्याज दर पाने के लालच में जमा करायी, डूब गई। छोटे-छोटे रिक्शा वाले, छोटा-छोटा काम करने वाले, छोटे व्यवसायी और छोटे कर्मचारियों ने भी सेवा निवृत्ति के बाद अपने पैसे बैंकिंग इंस्टीटयूशन में जमा किए। उनका हजारों करोड़ रुपया जिस के बारे में मैंने संसद में सवाल किया तो वित्त मंत्री ने कहा कि इसके कोई आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं हैं। एक ऐसी कम्पनी थी जो कि १७०० करोड़ रुपए लूट कर भाग गई। इसके बारे में रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस तरह की ७-८ बड़ी कम्पनियां और छोटी-छोटी स्थानीय स्तर पर काम करने वाली कम्पनियां यदि इन सब की लूट जोड़ी जाए,

तो १० हजार करोड़ रुपया के आसपास जरूर आयेगा और पिछले २-३ वर्षों में लूटकर भाग गये। सार्वजनिक क्षेत्र का यही सबसे बड़ा योगदान है कि भारत के किसी भी आम आदमी या नागरिक को इस बात की गारंटी और आश्वासन रहता है कि उसकी पूंजी और लागत सुरक्षित रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर जिसके ऊपर हमारा सैक्टर बहुत कुछ निर्भर करता है, उसे इस बात की गारंटी रहती है कि कम से कम श्रम कानून का उल्लंघन नहीं होगा और उसका पालन होगा। उसमें काम करने के जो घंटे निर्धारित हैं, वे पूरी तौर पर रहेंगे और उसे उसकी उचित मजदूरी मिलेगी। आप देखिये, आज निजी क्षेत्र की क्या हालत है? १९९१ के बाद जब से आपने छूट दे दी, उसमें १२-१४ घंटे काम लेते हैं और प्रतिमाह ६-७ सौ रुपया देते थे। यदि और मांग की गई को चार लात मारकर बाहर कर देते हैं। आज की तारीख में ट्रेड एक्ट की अनुपालना नहीं हो रही है। हम लोग कहना चाहते हैं कि इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र तरक्की का मुख्य स्तम्भ है। उसे खत्म करने या उससे विमुख होने से सामाजिक कल्याण के कार्य सरकार नहीं कर सकती है।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे १९७७ में कांग्रेस संगठन के नेता थे, इस देश में जब मारूति कार के बारे में निजी क्षेत्र का प्रयास शुरु हुआ था तो प्रधानमंत्री के लड़के ने उसकी शुरुआत की थी। उन्होने कहा था कि यह स्वदेशी कार होगी और सस्ती होगी। उससे पहले १९७२-७३ में उसका प्रोटो-टाइप इंजिन डिस्पले हुआ था। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि उस समय मैं दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था जब विपक्ष के नेता श्री एस.एन.मिश्र और श्री मधु लिमये ने इस मामले को उठाया था कि जो प्रोटो-टाइप इंजिन डिस्पले किया गया है, वह स्वदेशी नहीं है। इस प्रकरण पर इस सदन में कई दिनों तक हंगामा होता रहा। अंततः १९८० के चुनाव के बाद १९८१ में वह निजी कम्पनी सरकारी कम्पनी बनी। आज उसका जो ऑटो इंडस्ट्रियल सैक्टर में योगदान है, हम उसको नमस्कार करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। यदि सार्वजिनक क्षेत्र का वह उद्योग आज की तारीख में नहीं रहता तो ऑटो क्षेत्र में जो क्रान्ति इस देश में हुई, क्या हम कर सकते थे? आज भी सरकार के मनमाने ढंग के तरीकों से अम्बैसडर कार चली आ रही है। उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार हिन्दुस्तान मोटर्स में १३ हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले ५० वर्ष से सरकार उसकी मशीनरी, उसके इंजिन और ढांचे में या डाई में कोई परि वर्तन नहीं कर पाई। यदि नहीं करती है तो वह कार कूड़ेदान में फैंकने वाली कार हो जायेगी। सरकार उसको निजी क्षेत्र में जिन्दा किये हुये है। इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान, क्रान्तिकारी औद्योगिक परिवर्तन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, मुझे याद है जब इस देश में घड़ी नहीं मिलती थी तब एच.एम.टी. कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। उस समय के सांसद के साथ मैं झोला लेकर चलता था और विवाह के लिये १०० रुपये की घड़ी के लिये एम.पी. की सिफारिश लगाई जाती थी। मैं उस चिट्ठी को लेकर मंत्रालय में जाता था कि हमारे अमुक आदमी को घड़ी चाहिये। आज घड़ी के क्षेत्र में ऐसा चमत्कार हो गया कि एच.एम.टी घड़ी घाटे में हो गई और बीमार होकर मरणासन्न अवस्था में है। जैसा घड़ी के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन किया गया, उसको जिन्दा रखने के योगदान से इन्कार करके, उसकी भी इमदाद करके अपने पैरों पर खड़ा किया जाये और सरकार की ओर से वह कोशिश की गई। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि जब १९७७ में नई क्रान्ति के तहत सरकार बनी थी तो यह नीति बनी कि जो बीमार उद्योग होंगे, किन्हीं परिस्थितियों में यदि जनता से संबंधित होंगे तो सरकार उनका राष्ट्रीयकरण करेगी। उसी समय से सरकार राष्ट्रीयकरण करती आ रही है। यदि

एक उद्योगपति एक कारखाने को जानबूझकर बीमार करेगा तो जितने कारखाने उससे संबंधित होंगे, सरतकार सब का राष्ट्रीयकरण कर देंगी। इतना कहने के बाद स्वदेशी काटन मिल, कानपुर बीमार हो गई। वहां मजदूर हड़ताल पर चले गये। उनको एक महीने वेतन नहीं मिला। उसके बगल में एक चीनी का कारखाना था।

उन सभी कारखानों का राष्ट्रीयकरण आपने १९७७ में कर दिया। उस सरकार में सिकंदर बख्त जी थे जो आज इस सरकार में बैठे हैं। उसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया। सारे कारखाने आज की तारीख में जिस हालत में आपने लिये, उससे भी बुरी हालत में हैं और हमारे यहां के किसान मर रहे हैं। जो चीनी मिल है, उसी स्वदेशी कॉटन मिल के साथ साथ वह भी सरकार के हाथ में आ गई और आज की तारीख तक सरकार ने उस बारे में कुछ नहीं किया। किसान भी मर रहा है और मज़दूर भी मर रहा है। हमारे यहां गोरखपुर में फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की यूनिट थी जो १९९० से बंद है। १९९० से लगातार फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ने उनको वेतन दिया और करीब-करीब ५० लाख रुपये हर महीने मज़दूरों के वेतन देने में, वहां की बिजली की आपूर्ति और दूसरे इनफ्रास्ट्रक्चर को मेनटेन करने में भारत सरकार खर्च कर रही थी। जब पूछा जाता है कि इसका रेनोवेशन करके क्यों नहीं चलाते तो कहते हैं कि इन्हें चलाना ज्यादा घाटे वाला सौदा है और बिना काम किये वेतन देना और मनेटेन करना हमारा लिए सस्ता सौदा है। इस संसद में दसवीं लोक सभा में मैंने सवाल किया था कि ठहमारे देश के जो रासायनिक उर्वरक हैं, उनके उत्पादन के लिए भारत सरकार क्या कर रही है और यूरिया का कारखाना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक यूरिया आपूर्ति करने का काम करता था, वह बंद है, भारत सरकार उसको चलाए।' इस पर उस समय के प्रधान मंत्री जी ने, जो संयोग से उस समय के उद्योग मंत्री भी थे, उन्होंने कहा कि ठजो बाहर से आयात करके हम यूरिया मंगाते हैं, वह हमारे यहां अपने साधनों से तैयार स्वदेशी यूरिया से १००० रुपये प्रति टन सस्ता पड़ता है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने ही देश में यूरिया के उत्पादन को ठीक करें।' यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले पचास वर्षों में जब भी सरकार बदली है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में सरकार ने भिन्न-भिन्न रुख और रवैया अख्तियार किया है जिसके चलते ये कारखाने खत्म हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमें अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन एक विचित्र विडंबना की बात है कि भारत सरकार के दायरे में चलने वाले चार कारखाने थे, एक डिस्टिलरी थी और चार चीनी के कारखाने थे, ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के अंग के रूप में चलने वाला एक निगम था जिसको कानपुर शुगर वर्कस के नाम से जानते हैं, उसमें दो चीनी मिलें मेरे लोक सभा क्षेत्र में आती हैं, एक बिहार की है और एक पडरौना चीनी मिल है और मढौरा में उसी के साथ जुड़ी हुई एक डिस्टिलरी है -- इन पांचों कारखानों को बी.आई.एफ.आर. ने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के हाथों ६४ करोड़ रुपये में बेच दिया जो बड़ी विचित्र बात है। सरकार कंगाल हो रही है, कर्मचारियों को देने के लिए राज्य सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन मंत्री मालामाल हो रहे हैं, ६४ करोड़ रुपये में सार्वजनिक क्षेत्र के भारत सरकार के पांच कारखानों को उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने खरीद लिया और औने-पौने दामों में खरीदा। यदि देखा जाए तो केवल एक चीनी मिल की ज़मीन ही उतने रुपये की होगी। आपने बीमार कारखानों को चलाने के लिए बी.आई.एफ.आऱ. नाम का अस्पताल खोल रखा है लेकिन उसकी जगह वह उद्योगों को मारने वाला एक कारखाना बन गया है। बी.आई.एफ.आर. की वर्किंग के बारे में माननीय मंत्री जी को नये सिरे से ि वचार करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उनका जीवन आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए नये सिरे से उनके नियम, नयी तकनीक, नयी विधा और नयी पूंजी लगाकर उनको जागृत करने की आवश्यकता है। यही आग्रह करते हुए मैं मंत्री महोदय से इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि यदि इस देश का सार्वजनिक क्षेत्र मज़बूत नहीं होगा तो इस देश का निजी क्षेत्र भी मज़बूत नहीं हो सकता। यह एक मूल बात आपको जानने की ज़रूरत है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग मरे हैं, उसके पीछे एक ज़रूरी कारण है। वित्त मंत्री जी यहां रहकर बिहार की सरकार के खिलाफ चाहे जो बात कहते हों, लेकिन जब अभी १००० करोड़ रुपया वहां के गरीबों को बांटने के लिए बैंकों के ज़रिये गए तो उस दिन उनका भाषण मैं टेलिि वज़न पर देख रहा था। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बिहार को इस नेता या उस नेता ने नहीं, बिहार की अफसरशाही ने बरबाद किया है। एक मूल बात इन्होंने टेलिविज़न पर कही जब वे गरीबों को पैसा दे रहे थे, बैंकों के जरिये जो उन्हें पहले नहीं दिया जा रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में भी मेरा इल्ज़ाम है कि यही बात इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अफसरशाही के ज़िम्मे देकर हमने की है, अफसरशाही में जो चुने हुए लोग थे, उसके संचालन में, प्रबंध की व्य वस्था में उन्होंने अपने को ज़मींदार मान लिया।

उसका मालिक मान लिया, उनके ठाठ-बाट, उनकी फिजूलखर्ची, उनकी अय्याशी, सरकार के जो प्रशासकीय काम हैं, उनसे मुक्ति लेकर वह सार्वजनिक क्षेत्रों में इसलिए जाने की पैरवी करने लगे कि वहां उनकी पत्नी के लिए गाड़ी, उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए गाड़ी, एयरकंडीशंड बंगले और दुनिया भर की फिजूलखर्ची करने का मौका मिलेगा। बिना किसी नई दृष्टि के इन सारे सार्वजनिक क्षेत्रों के कारखानों को बरबाद करने की विशेष जिम्मेदारी इस देश की अ फसरशाही की है और इस देश का जो निजी क्षेत्र है वह भी सार्वजनिक पूंजी से अपने उद्योगों को खड़ा करता है। लेकिन उस उद्योग का मालिक भी अपने को मालिक मानकर उसी ठाठ-बाट और फिजूलखर्ची का शिकार हो रहा है, जिसके चलते इस देश का निजी क्षेत्र अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देते हुए मै माननीय मंत्री जी से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि असीम बाला साहब का प्रस्ताव बहुत ही वजनदार है और इस प्रस्ताव के वजन को समझते हुए अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए भारत सरकार इस देश के जो बीमार उद्योग हैं, जिनसे इस देश के आम जन-जीवन का सीधा रिश्ता है, उसमें विकास और सुधार करने की कोशिश करे, यही आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति महोदय, आज यह सदन डा. असीम बाला जी के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके द्वारा वह चाहते हैं कि सदन भारत सरकार से यह सिफारिश करे कि जो सार्वजनिक पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, बीमार औद्योगिक यूनिटस हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए कदम उठाये और साथ-साथ ऐसी नीति बनाये जिसके कारण इन बीमार यूनिटस की कार्य प्रणाली ठीक हो सके। इसी भावना के साथ उन्होंने यह प्रस्ताव हमारे सामने रखा है।

सभापति महोदय, भारत की आजादी के बाद पांचवे, छठे और सातवें दशक तक इस देश में अर्थव्यवस्था के संबंध में काफी चर्चा होती रही। लेकिन चर्चा के अंदर प्रभुत्व उन लोगों का था जो चाहते थे कि उद्योग से समाज, सामाजिक व्यवस्था और समाजवाद की व्यवस्था हर चीज पर स्टेट का कंट्रोल हो और जब तक सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तब तक वह चीज ठीक नहीं होगी, ऐसी लोगों की डोमीनेन्स थी। स्वंय कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद १९५६ में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा दिया था। यह बात अलग है कि १९५६ में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा देने वाली कांग्रेस १९८० में सरदार मनमोहन सिंह जी की लिबरेलाइजेशन की पालिसी और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी पर आकर टिकी। लेकिन ये दो-तीन दशक ऐसे थे जिनमें समाजवाद, सामाजिक व्यवस्था का नारा दिया गया था। मोहन सिंह जी ने जिक्र किया, मुझे याद है १९६९ में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वह किस कारण से हुआ था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए मैं वह बात नहीं कहना चाहता। लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर प्रयोग करने की कोशिश की गई और कहा गया कि जो लोग सामाजिक कंट्रोल की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, वे गरीबों के मसीहा हैं, उनके पक्ष में विचार करने वाले लोग हैं और अगर आप राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े पूंजीवादी और पूंजीपति हैं और आप देश के विरोधी है - ऐसा माहौल पैदा

करने की कोशिश की गई। आज मुझे इस बात की खुशी है कि यह प्रस्ताव भी स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के एक मैम्बर लाये है, उस व्यवस्था का समर्थन करने वाले सदस्य लाये हैं, जो उस समय यह कहा करते थे कि अगर पब्लिक अंडरटेकिंग्स आ जायेंगी, अगर सरकार का कंट्रोल हो जायेगा तो इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा, इंडस्ट्रीज बहुत प्रोग्रेस करेगी, गरीबी दूर हो जायेगी, आम आदमी को उससे सहायता मिलेगी। आज वह सदस्य यह प्रस्ताव लाने पर मजबूर हुए हैं कि सरकार उनके रिवाइवल के लिए कदम उठाये। मैं चाहता था कि अपने भाषण में वह और बाकी मैम्बर साहेबान इस बात का जिक्र जरूर करते कि ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्यों सिक हुईं। इनके सिक होने का क्या कारण था। जब तक हम इनके सिक होने के कारणों में नहीं जायेगे, जब तक इनके फेल्योर होने के कारणों में नहीं जायेगे, तब तक हम भारत सरकार से इस बात का निवेदन कैसे करें कि भारत सरकार इस बारे में कदम उठाये। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि दो-तीन प्रमुख कारण रहें है जिनके कारण यह पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाला मामला सफल नहीं हो पाया।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो किसी भी पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए आवश्यक होती है, वह यह है कि जहां सरकारी नियंत्रण होता है, वहां राष्ट्रवाद की भावना का मजबूत होना बहुत बड़ी बात है। जब तक उस फैक्टरी में लगा अफसर चूंकि वह उसका मालिक नहीं है, उसके मैनेजमैंट में अफसर है, वहां काम करने वाला कर्मचारी है, जब तक दोनों के मन में यह भावना नहीं होगी कि इसके लाभ-हानि में मैं और मेरा देश बराबर का जिम्मेदार है,

सभापति महोदय, जब तक उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी, तब तक वह उद्योग सफल नहीं हो सकता। हमने वह भावना पैदा करने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ नारा लगाने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों को कभी यह अहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि यह उद्योग उनका अपना उद्योग है। यदि फैक्ट्री में हड़ताल होती है, यहि उद्योग हड़ताल की वजह से फेल होता है या उसका नुकसान होता है, तो वह उसका अपना नुकसान होगा, राष्ट्र का नुकसान होगा। यदि कोई आई.ए.एस.अधिकारी उस उद्योग से अपना व्यक्तिगत लाभ उठाने की कोशिश करे, उसके पैसे से अपना फायदा करने की कोशिश करे, तो वह कभी सफल नहीं होगा। सबसे बड़ी कमी मैं इस भावना की पाता हूं जिसमें उद्योग के नुकसान को अपना नुकसान न समझा जाए।

सभापति महोदय, आज सोवियत रूस जो दुनिया के साम्यवाद का सबसे बड़ा समर्थक था और हमेशा साम्यवाद का हामी रहा, वह ७० साल के आयरन रूल के बाद टूट गया, बिखर गया। डंडे के साथ, मिलिट्री के साथ, पुलिस के साथ आप रूल नहीं कर सकते, इस बात को रूस के बिखराव ने सिद्ध कर दिया। मैं तो उस आदमी को सलाम करता हूं जिसने अपने अंदर की टेंशन को महसूस किया, बेचैनी को, मन की इस कुंठा को समझा और उस महान व्यक्ति गोरबाचेव ने यह समझ कर कि हम स्टेट कंट्रोल से राज नहीं चला सकते, उसने रूस की उस टेंशन को ओपन कर दिया। यह भावना थी जो ७० साल के आयरन रूल में भी लोगों में पैदा नहीं की जा सकी जिसके कारण असफलता मिली।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और श्री मोहन सिंह से बिलकुल सहमत हूं कि इस मुल्क के अंदर एकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई और यह एक बहुत बड़ा कारण हमारी विफलता का रहा न केवल उद्योग में बल्कि जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में। हमने कोई आई.पी.एस.अफसर मिनिस्ट्री से उठाया और किसी सार्वजनिक उद्योग में एम.डी. लगा दिया। फैक्ट्री घाटे में चल रही है, लेकिन उसके लिए एयरकंडीशंड कार खरीदी जा रही है, उसके पी.ए. के लिए कार खरीदी जा रही है, उसके कमरे को सजाने पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, उसके लिए गलीचे बिछाए जा रहे हैं। उसके आने के बाद यदि उद्योग को और घाटा होता है, तो हमने उसके लिए उसका कोई दायित्व फिक्स नहीं किया है। यदि बहुत किया, तो उसको एक महकमे से दूसरे महकमे में स्थानांतरित कर दिया, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि जिन अधिकारियों के सेवाकाल में वह उद्योग घाटे में जाता है, तो उस अधिकारी के वेतन से वह घाटा रिकवर किया जाना चाहिए, उसकी एकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए जिसने पानी की तरह जनता का पैसा, सरकार का पैसा, जनता द्वारा टैक्स के रूप में दिया गया धन, बहाया है, उसकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्क की जानी चाहिए और उनसे व्यक्तिगत रूप से यह पैसा रिकवर किया जाना चाहिए। जिनके भी काल में उद्योग फेल होता है, नुकसान होता है या बन्द होता है, उनके एम.डी./चेयरमैन से वह धन व्यक्तिगत रूप से वसूला जाना चाहिए। जब तक ऐसी व्यवस्था कायम नहीं की जाएगी, जब तक उद्योग में कार्यरत मजदूरों में देशभक्ति की भावना पैदा नहीं की जाएगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम वह करते नहीं हैं। यहां हमारे साम्यवादी भाई बैठे हैं, कम्युनिस्ट भाई बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हर उद्योग में एक ऐसा माहौल बन गया है कि किसी न किसी प्रकार हड़ताल हो और जब तक हड़ताल नहीं होगी तब तक हमारी लीडरशिप नहीं चलेगी, हमारी नेतागीरी नहीं चमकेगी, एक ऐसा माहौल बना रखा है जिसके कारण छोट-छोटी बातों को लेकर हड़ताल कर दी जाती है, फैक्ट्री को बन्द कर दिया जाता है। वे ऐसा समझते ही नहीं हैं कि बातचीत के जरिए समस्या का हल किया जा सकता है और बातचीत का रास्ता भी कोई रास्ता है। जब तक दो-तीन महीने फैक्ट्री बन्द नहीं रहती है तब तक वे समझते हैं कि हमारी नेतागीरी नहीं चमकेगी। वे चाहते हैं कि दो-चार मजदूर टरमिनेट हों ताकि उनकी पार्टी का कार्य करने के लिए उनको आदमी मिल जाएं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी स्ट्राइक करा दी जाती हैं। यदि किसी जैन्यूइन बात को लेकर हड़ताल होती है, किसी वास्तविक परेशानी को लेकर हड़ताल हो, तो सारा देश आपका साथ देगा, लेकिन यहां ऐसा माहौल पैदा करने का काम किया गया कि जो सरकारी पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, वे किसी की नहीं हैं इसलिए इनके अंदर जो कुछ करना है, वह करना है। इसका परिणाम यह निकला कि उद्योग बीमार पड़े और दो-तीन फैक्टर उसके कारण हमारे सामने आए।

सभापति महोदय, हमारी सरकारी इंडस्ट्रीज फेल हो गईं और वे चाहते हैं कि सरकार उनको चलाने के लिए और पैसा दे, लेकिन सरकार उनको चलाने के लिए कब तक पैसा दे, कब तक पैसे को उनमें पानी की तरह बहाती रहे और वह भी सिर्फ इसलिए कि हम पब्लिक सैक्टर के हामी रहे हैं और उस विचारधारा को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम उससे जुड़े रहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार का पैसा नहीं है, यह हिन्दुस्तान के आम आदमी का पैसा है, टैक्सपेयर का पैसा है, यह पैसा उसका है जो इस देश में ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहता है, उसका पैसा है। क्या हम उस पैसे को अंधी गली में फेंक दें, क्या हम उसे बर्बाद करें ?क्या आपने कभी विचार किया है कि जो पैसा पब्लिक अंडरटेकिंग में लगा है क्या उसका रिटर्न आएगा और कितना आएगा और बीमार होने के बाद उसमें और पैसा लगाने पर क्या उतना टर्नओवर होगा या नहीं? सवाल यह नहीं है कि उसमें २० या ३० करोड़ रुपया और लगा दिया जाए, तो वह बीमार उद्योग चल पड़ेगा। सवाल यह है कि २०, ३० या ५० करोड़ रुपए लगाने के बाद भी क्या घाटा पूरा हो जाएगा और क्या वास्तव में वह उद्योग चल पड़ेगा। यदि ऐसा है, तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें पैसा लगाने के बाद भी उसका घाटा कम होने के बजाय और बढ़ेगा, रिट्रेंचमेंट बढ़ेगी। इसलिए देश की जनता के पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर और पैसा नहीं खर्च करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब कंपटीशन का, ग्लोबलाइजेशन का, कामन ट्रेड का युग आया है वह इसलिए आया है कि हम अपनी इन पुरानी बातों पर न अड़कर जो नई बाते आ रही हैं उन पर ध्यान दें और नई व्यवस्था को अपनाकर आगे बढ़ें। यदि हम पुरानी व्यवस्था को अपनाकर ही बैठे रहेंगे, तो हमें लाभ नहीं होगा, हमारा

देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में विचार जरूर करे। यह बात सही है कि हम इतनी बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग पर, उनकी तरफ अनकेजुअल, अनकेयरफुल एटीट्यूड एडॉप्ट नहीं कर सकते। उनको चालू कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं हो सकती है और फिर भी उद्योग घाटे में जाता है, तो आज समय आ गया है कि प्राइवेट सैक्टर के लिए, प्राइवेट मैनेजमेंट के लिए उसे दे दिया जाए ताकि उसका ठीक उपयोग हो सके।

सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पाया हूं कि जो उद्योग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं और घाटे में रहते हैं, लेकिन वही उद्योग यदि प्रावेट मैनेजमेंट में चला जाता है, तो ठीक काम करता है और लाभ होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है।

अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है,

... (व्यवधान)

अधिकांश की मैं बात कर रहा हूं, कोई अपवाद हो सकता है, मैं यह नहीं कह रहा कि हर प्राइवेट ठीक है, हर सरकारी गलत है। लेकिन अब तक का जो अनुभव हमारे सामने आया है, उसका लाभ उठाते हुए इस बात का हम फायदा उठायें। मैं महसूस करता हूं कि इसकी तरफ हम चलें। अगर यह नीति हम अपनाते हैं तो मैं समझता हूं कि इसका हमें बहुत लाभ होगा। हां, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि अपने जो कर्मचारी हैं, उनको प्राइवेट मैनेजमेंट की मर्जी पर हम नहीं छोड़ सकते। आज हम भले ही प्राइवेट सैक्टर को एन्करेज करें, उनको इसका मैनेजमेंट दें, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारियों का शोषण न हो।

मैं मोहन सिंह जी की इस बात से सहमत हूं, बल्कि मुझे मालूम है कि कई स्थानों पर जहां-जहां प्राइवेट लोगों को मैनेजमेंट दिया गया है, भले ही किसी पब्लिक सैक्टर में एक विशेष व्यवस्था की गई है, वहां पर कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें आ रही हैं। मेरे यहां चंडीगढ़ में कई अस्पतालों में, डिपार्टमेंटस में, जहां-जहां प्राइवेट सैक्टर को मैनेजमेंट दिया गया है, वहां उनकी तनख्वाह १२०० रुपये, १५०० रुपये, ९०० रुपये होने की बातें सुनाई पड़ रही हैं। सैक्टर ३२ में हमारा मैडीकल कालेज है, बड़ा अच्छा प्रोजैक्ट है, लेकिन वहां जो कर्मचारी लगते हैं, वे रोज आकर हमसे मिलते हैं।

इंडसट्रियल डिस्प्यूटस एक्ट के अन्दर ऐसे प्रावधान हैं और प्रावधान किये जा सकते हैं कि भले ही प्राइवेट मैनेजमेंट हो, लेकिन वहां जो कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी जो सेवाशर्तें हैं, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। उसके लिए मिनिमम वेजेज़ प्रैस्क्राइब होने चाहिए और सरकार ऐसी मशीनरी बनाये कि उनको मिनिमम वेजेज़ मिलें।

एक बात मैं और कहता हूं। हमारे यहां जब कोई क्राइम करता है तो उसके खिलाफ जो केस होता है, वह व्यक्तिगत आदमी नहीं करता। मान लीजिए आप किसी की पिटाई करें, किसी का कत्ल करें, किसी को चोट पहुंचायें तो वह स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होता है, सरकार बनाम मुलजिम होता है। ऐसे ही इंडस्ट्री में, उद्योग के अन्दर अगर कोई मिल मालिक किसी मजदूर के साथ ज्यादती करता है तो मेरा ऐसा मत है कि यह भी सोसायटी के अगेन्स्ट क्राइम माना जाना चाहिए। इसका मुकदमा भी सरकार लड़े। काम करने वाले मजदूर के पास इतना पैसा नहीं है कि अगर उसका झगड़ा मैनेजमेंट से होता है तो वह अच्छा वकील कर सके, पैसा लगा सके। इसलिए इसमें मेरा निवेदन है कि इंडसट्रियल लॉ के अन्दर इस नये कन्सैप्ट पर भी विचार करना चाहिए। जहां मजदूर के हक में निर्णय आता है, वहां सरकार उसकी मदद के लिए आये और उसकी सुरक्षा करे।

बी.आई.एफ.आर. के बारे में भी इस प्रस्ताव पर बात करते हुए जिक्र हुआ है। बी.आई.एफ.आर. ने कितना लाभ दिया, इसके बारे में मैं अधिक जानकारी लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने एक बात जरूर देखी है कि बी.आई.एफ.आर. ने बहुत सारी कन्सर्नस के लिए तो अमृतधारा का काम किया है, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड में इंडसट्रियल डिस्प्यूटस एक्ट में और बी.आई.एफ.आर. के एक्ट में आपने एक प्रावधान कर दिया। वह प्रावधान यह कर दिया कि अगर कोई यूनिट सिक हो गई है और वह बी.आई.एफ.आर. के पास एक एप्लीकेशन डाल देता है कि हम सिक हैं, हमें सिक डिक्लेयर किया जाये या हमारी कोई मदद की जाये तो उस कन्सर्न के खिलाफ जितने भी केस किसी भी अदालत में चल रहे हैं, वे सारे स्वयं स्टे हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेज़ देखे हैं, जहां ये बड़ी-बड़ी कन्सर्नस अपनी लायबिलिटी बचाने के लिए, अपनी देनदारी बचाने के लिए एक एप्लीकेशन डाल देंगी। बी.आई.एफ.आर. में साल, दो साल, तीन साल उसकी सुनवाई नहीं होगी और इस दौरान जिस किसी ने भी उस इंडस्ट्री के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ कोई केस डाला हुआ है, वह ऑटोमेटीकली स्टे हो जायेगा। इस सम्बन्ध में भी हमें पुनर्विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी दोबारा विचार किया जाना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इनके ये जो प्रावधान हैं, जिनका दुरुपयोग कुछ लोगों ने किया है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सिक पब्लिक अंडरटेकिंग्स के सम्बन्ध में सरकार विचार जरूर करे, पुनर्विचार करे, उनके बारे में ि वस्तार से निरीक्षण हो। जहां-जहां इसका फैल्योर आफिसर्स के कारण हुआ है, उनकी एकाउण्टेबिलिटी फिक्स करके उन पर इसकी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए, उनको खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में कैजुअल एप्रोच एडॉप्ट नहीं की जानी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जहां-जहां यह व्यवस्था सरकारी नियंत्रण में नहीं चल पा रही है, वहां प्राइवेट मैनेजमेंट को हम दें। कर्मचारियों की सुरक्षा की हम गारण्टी लें और इस बात की चिन्ता करें कि वहां पर फिजूलखर्ची न हो।

इन शब्दों के साथ असीम बाला जी का जो प्रस्ताव है, उसकी भावना से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर हम सरकार पर यह बोझ डालने का प्रयास करेंगे तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो पहले भी बर्बाद हो चुका है, और ज्यादा बर्बाद होगा। यह एक ऐसी अंधी गली है, जिसमें जितना मर्जी आप पैसा फेंकते जाइये, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकार विचार करे, सरकार को हम कहें, इस पर विचार करने के बाद एक ठोस नीति अपनाये और उस ठोस नीति के अन्तर्गत मामले को आगे बढ़ाये।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द-जयभारत।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर मैंने अपने विचार रखते हुए यह निवेदन किया था कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए और औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर उत्पादकता बनी रहे, इस दृष्टि से साऋवजनिक उपक्रमों का निर्माण किया गया था।

प्रारम्भ में इन्हें काफी सफलता मिली, लेकिन धीरे-धीरे इन पर सरकारी तंत्र हावी होता गया, उसके नियंत्रण में ये जाते गए, तो इनकी उत्पादन क्षमता घटती गई और इनका प्रबन्धन भी बिगड़ता चला गया। इस कारण एक के बाद एक कई यूनिट घाटे में चले गए। यहां पर जो विवरण उपलब्ध कराया गया है उसमें टॉप टेन जो घाटे वाले यूनिट हैं वे इस प्रकार हैं- फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया, ईस्टर्न कोल फील्ड, एयर इंडिया, सी.सी.आई., हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोररेशन, आई.डी.पी.एल., भारत कोकिंग कोल, राष्ट्रीय इस्पात निगम, इंडियन आयरन स्टील कम्पनी और हिन्दुस्तान शिपयार्ड। इनमें कुल मिलाकर ५८६२ करोड़ रुपए का घाटा है। इतना घाटा होना हम सबके लिए एक विचारणीय है। डा. असीम बाला जी ने जो यह संकल्प यहां पेश किया है, यह विचारणीय विषय है कि हम किस तरह से इनमें जो ठीक होने लायक यूनिटस हैं, उनको ठीक करके चला सकें। अन्यथा धीरे-धीरे और भी उपक्रम बंद होते चले जाएंगे और घाटा निरंतर बढ़ता चला जाएगा।

मैं दो विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें एक सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया का मामला है, कुछ का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। इसमें घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी उसकी कुछ यूनिटस को बेचने की बात भी चल रही है। उनको ठीक किया जा सकता था और अच्छी तरह से चलाया जा सकता था। लेकिन ठीक चलाने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए, उसका अभाव है। इसी कारण घाटा निरंतर बढ़ रहा है और धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि ऐसी स्थिति आ गई कि वह न चल सके। कुछ यूनिटस ऐसी हैं जो चलती भी हैं और नहीं भी चलतीं। वहां के कर्मचारियों और श्रमिकों को वेतन भी विलम्ब से दिया जा रहा है, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है।

मेरे क्षेत्र के अंदर नया गांव में सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया की दो यूनिट हैं। वर्षों से ये काम भी कर रही हैं और कभी-कभी नहीं भी कर रही हैं। केवल कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति बन गई है। मैं यहां पर जयपुर से प्रकाशित होने वाले ठमहानगर टाइम्स' में प्रकाशित एक अभिमत ठसीमेंट निगम में पल रहे भ्रष्टाचार' का कुछ अंश आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए घोषित रूप से प्रतिबद्धता निश्चित करने के लिए सीमेंट निगम में पल रहे भ्रष्टाचार को कसौटी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यदि इस मामले में कोई सार्थक कार्यवाही की जाए तो कई क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार मिट सकता है। भारतीय सीमेंट निगम में पल रहा भ्रष्टाचार आम चर्चा का विषय है। सीमेंट निगम से जब यह पूछा गया कि सी.सी.आई. में चूना-पत्थर की ढुलाई का काम ठेके पर कराया जाता है तो उसने साफ इनकार कर दिया, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है और वह काम वहां हो रहा है। जिसके लिए सभी नियम और कायदे तोड़े गए हैं।

सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इसके बारे में जब कहा गया कि आप डीजल के जैनरेटर सैट क्यों खरीद रहे हैं तो कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरे स्थानों पर बिजली की कमी है। हालांकि उतनी कमी नहीं है, जितनी कि आंकी जा रही है। बिजली की कमी कहकर जो बिजली के बकाया बिल हैं, उनका भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण उनकी बिजली काट दी गई और जैनरेटर सैट भी नहीं चले। इस प्रकार सी.सी.आई. में असत्य कहानी बनाकर जैनरेटर सैट खरीद लिए गए। १९९२-९३ के बाद अपनी कार्य अक्षमता छिपाने के लिए उद्योग मंत्रालय को असत्य रिपोर्ट दी गई और सी.सी.आई. को घाटे में चलाने का मुख्य कारण बिजली की कटौती बताया गया। कहा जाता है कि क्योंकि कार्पोरेशन के द्वारा होने वाले कुल उत्पादन का ८५ प्र ातिशत हिस्सा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होता है और इन दोनों प्रदेशों में बिजली की कटौती ६० प्रतिशत है, जबकि तथ्य इसके विपरीत है और ये जो जैनरेटर सैट खरीदे गए, क्यों खरादे गए ? उनसे काम लेना था अथवा नहीं खरीदे जाने चाहिए थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर खरीद लिए गए तो इनको चलाकर कारखानों को चलाया जा सकता था, वह भी नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार इसमें भ्रष्टाचार निरंतर पनपता चला जा रहा है।

मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में एक जगह उल्लेख किया था कि हम कुछ कारखानों को बंद करने जा रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में एक अखबार के अंदर उद्योग मंत्री बख्त जी से साक्षात्कार छपा था। उसमें माननीय बख्त ने कहा था कि सरकार दोबारा न चलाए जाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की अपनी नीति के तहत इस साल नौ रूग्ण सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष इनमें से कौन-कौन से बंद किए जाने वाले कारखाने हैं?

मैंने जैसा कहा है सीमेंट कॉर्पोरेशन में कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनको चलाया जा सकता है। मैंने स्वयं भी निवेदन किया है कि उनके बारे में फिर से विचार करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हिन्दुस्तान एंटी-बॉयटिक एक लाभप्रद संस्थान रहा है और लाभ में चलने वाली इकाई रही लेकिन धीरे-धीरे उसके अंदर भी घाटा होता जा रहा है और आज वह एक घाटे की इकाई के रूप में परिणत हो गई है। अभी माननीय सदस्य, मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि वह फर्टिलाइजर कार्पोरेशन घाटे में क्यों चली गई, इसे घाटे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन यह केवल कु-प्रबन्ध और भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ।

मैं इसके बारे में हिन्दुस्तान में जो प्रकाशित हुआ, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। 'सार्वजनिक उपक्रमों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार'। भारत के सार्वजनिक उपक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है लेकिन धीरे-धीरे इनमें भ्रष्टाचार, कु-प्रबन्ध और तदर्थवाद की बुराइयां फैलने लगीं। आज हालत यह है कि घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि स्वतंत्र भारत के आधुनिक निर्माताओं ने इन उपक्रमों को जिस सपने के साथ स्थापित किया था, वह सपना साकार क्यों नहीं हुआ? इसका कारण इनमें बढ़ता भ्रष्टाचार, चोरी और तदर्थवाद है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज वहां जो बड़े अधिकारी हैं, जिनको अच्छा वेतन मिलता है, हर तरह की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी वहां स्थिति नहीं सुधर रही है जबकि इन्हीं सरकारी उपक्रमों को यदि निजी संस्थान खरीदते हैं तो वही उपक्रम लाभ में चलने लगते हैं। सीमेंट कार्पोरेशन ने एक ऐसी इकाई बेची और वही इकाई वहां लाभप्रद हो गई जबकि सीमेंट कार्पोरेशन में वह लाभप्रद नहीं थी। इसलिए एक ऐसी सुनिश्चित नीति होनी चाहिए और उस नीति के बारे में माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से इन सार्वजनिक उपक्रमों को चलाया जा सकता है, उन्हें जिन्दा रखा जा सकता है। उन्हें बी.आई.एफ.आर. के पास भेजने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। ६० के करीब मामले ऐसे हैं जो विचारधीन है इधर सा र्वजनिक उपक्रम रुग्ण पड़े हुए हैं और जिन पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वहां इनके बारे में कोई निर्णय नहीं होता है। कहा जाता है इनके बारे में निर्णय कर रहे हैं, आखिर वह निर्णय कब होगा? उसके बारे में विचार होकर काम हो सकता है क्या आप समय सीमा निर्धारित करेगे ? । इन दोनों तथ्यों की तरफ भी आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। निश्चित रूप से इन कारखानों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोका जाए और जिन उपक्रमों को जिन्दा रखा जा सकता है चाहे बी.आई.एफ.आर. को मामला दिया हुआ हो या अन्यथा भी विचार कर रहे हैं, अभी वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में रुग्ण इकाइयों, विशेषकर नेशनल टैक्सटाइल्स के बारे में, टैक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ उल्लेख किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की नीति बनाकर कुछ ठोस उपाय किए जाएं ताकि लाखों की तादाद में काम करने वाले श्रमिक, जिनका भविष्य अंधकारमय है उन्हे उबारा जा सके मैंने सी.सी.आई. में उल्लेख किया है, जैसे वहां एक केन्द्रीय विद्यालय

चल रहा था, मेरे पास कर्मचारी मिलने के लिए आए। उनको केन्द्रीय विद्यालय से जो वेतन मिल रहा था, वह सी.सी.आई. दे रहा था वह वहां बंद होने की स्थिति में है। सी.बी आई का कहना कि हम केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों या अध्यापकों का वेतन नहीं दे सकते। क्यों कि यूनिट बंद है ७०० या ८०० श्रमिकों के बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका श्रमिकों और अधिकारियों के बच्चों से संबंध है, उनके परिवारों से संबंध है, इसलिए निश्चित नीति के बारे में निर्णय होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इन सब बातों का उल्लेख करेंगे। मैंने कुछ बातें प्रारम्भ में अपने भाषण में कही थीं लेकिन मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। मैं यही कहूंगा कि जो उपक्रम जैव्य हैं, जिन्हें चलाया जा सकता है, उनको ठीक करने के बारे में कुछ ठोस उपाय किए जाएं। एक अंतिम वाक्य के रूप में मैं उदधृत कर कहूंगाः

"Public Sector in India -- An Appraisal : The growing incidence of the sickness in various industries including those of the public sector is one of the most serious problems facing the industrial sector of India. Sickness and loss-making among the Central and State Enterprises are becoming a burden on the Indian Government or Exchequer. About Rs. 1,00,000 crore of the country's wealth is tied up with the Central Public Sector Enterprises and the return is less than one per cent as on 31st March, 1997. Sixteen sick industries under the public sector were registered with the BIFR for revival. The following were the top ten loss-making enterprises."

जैसा मैंने उल्लेख किया है, इसके अनुसार भी जो हमारा करोड़ों रुपये का लॉस है, उसे बचाया जाए और आगे सुनिश्चित नीति निर्धारित करके इन उपक्रमों को ठीक किया जाए।

सभापति महोदय :आधे घंटे की चर्चा श्री स्वाइन का है, इससे संबंधित नियम १९३ पर वाद-विवाद स्वीकृत हो चुका है। अगर सभा की सहमति हो तो इसको उसी में शामिल कर लिया जाए।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, आज यहां सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम के संबंध में डा. असीम बाला ने जो संकल्प पेश किया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित ही औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो उपक्रम रहे हैं उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। यहां जो संकल्प असीम बाला जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह निश्चित रूप से विचारणीय है कि किन परिस्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बराबर घाटे में चल रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि उनको रूग्ण घोषित कर दिया जाता है। जब कि उन्हीं के साथ के जो निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं वे लाभांश दे रहे हैं। इतना बड़ा राजस्व का घाटा हमें दे रहा है, जिसमें कार्यरत लाखों कर्मचारी है, उससे जुड़े हुए लाखो व्यवसायी हैं तथा लाखों किसान और मजदूर उससे प्रभावित होते हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए।

आज अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में देखें तो वहां जो कुप्रबंधन की स्थिति है, वहां ऐसे आधिकारी भेज दिए जाते हैं जिनको उस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं होता है और न ही वे कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं तथा न ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उ पक्रम बंद होता है तो उन्हें कहीं अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उनका किसी भी प्रकार से कोई भावनात्मक लगाव उस उपक्रम से नहीं होता है। इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार होता है, चोरी होती है और जो आधुनिक तकनीक की मांग उस उपक्रम के लिए होनी चाहिए, वह समय पर न होना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आज जो ट्रेड यूनियन्स हैं, उनकी यह मानसिकता बन गई है, उनका केवल एक ही नारा होता है कि हमारी मांगें पूरी हों, चाहे कोई भी मजबूरी हो। वास्तव में उनका कर्तव्य उस उपक्रम के प्रति, अपने समाज के प्रति जो होना चाहिए उसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में भी पड़ते हैं। इससे पूर्व भी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि गोरखपुर में फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक उपक्रम था। वह उपक्रम १९६९ में लगाया गया था और १९९० में साधारण दुर्घटना के कारण वह बंद कर दिया गया। १९९५ में उस कारखाने में कार्यरत जो अधिकारी और कर्मचारी थे उन्होंने भारत सरकार से मात्र ६५ करोड़ रुपए की मांग की थी कि अगर ६५ करोड़ रुपए भारत सरकार दे देगी तो यह कारखाना पुनः प्रारम्भ हो जाएगा लेकिन भारत सरकार इतने रुपए उस उर्वरक संयंत्र को नहीं दे पाई। जिस उर्वरक संयंत्र ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के ढाई लाख टन उर्वरक की मांग को पूरा करना था वह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। प्रत्येक वर्ष उस क्षेत्र के किसानों की ढाई लाख टन उर्वरक की मांग है और वहां मात्र ३०,००० टन सप्लाई होता है।

वहां पर ६५ करोड़ रुपया न देकर उस समय जो सरकार थी उन्होंने मात्र १३३ करोड़ रुपया यूरिया घोटाले के नाम पर इस देश का खर्च किया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की तमाम चीनी मिले हैं जो भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन चल रही हैं। अगर भारत सरकार उन पर ध्यान दे तो उन्हें पुनः चालू किया जा सकता है और अगर उनका आधुनिकीकरण कर दिया जाए तो वे पुनः लाभ अर्जित कर सकती हैं। उनसे जुड़े हुए जो तमाम कर्मचारी हैं, किसान हैं, उनकी भावनाओं से हमने अवगत होने की कोशिश नहीं की। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निरंतर घाटा चल रहा है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बी.आई.एफ.आर. की जहां तक बात है, गोरखपुर में ही एक सरयाम शुगर मिल है, जोकि एक निजी शुगर मिल है। इसमें तीन साल से काश्तकारों को एक पैसा भुगतान के रूप में नहीं दिया गया है। वहां के किसान बर्बादी के कगार पर हैं। मिल का मालिक मिल को बी.आई.एफ.आर. के पास ले गया और उसने उसे बीमार घोषित कर दिया, जिसके कारण वहां के किसान बर्बादी के कगार पर हैं। इसी तरह से गणेश शुगर मिल, आनंद नगर सात-आठ साल से बंद चल रही है। अगर मंत्रालय उस ओर ध्यान देता तो उसे पुनः चालू किया जा सकता था। इसके चालू होने से जो किसान और कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, उनकी स्थिति में सुधार आता और मिल की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जा सकता था। डा. असीम बाला जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के विषय में जो यह संकल्प पेश किया है, इस पर विचार होना चाहिए और जो भी राष्ट्रीय हित में और उन उपक्रमों से जुड़े हुए कर्मचारियों, व्यापारियों और काश्तकारों के हित में हो, उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री के.डी.सुल्तानपुरी (शिमला): माननीय सभापति जी, जहां तक हमारे मित्र असीम बाला जी का प्रस्ताव है, मैं इसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेकर आये हैं। आज जितने भी उद्योग जो सरकारी क्षेत्र में आते हैं, घाटे में चल रहे हैं। कुछ का जिक्र सभी मैम्बरों ने किया है। कुछ को छोड़कर जितने भी उद्योग सरकारी क्षेत्र में हैं सब घाटे में चल रहे हैं। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं भी आप जाते हैं सब घाटे में चल रहे हैं। यह मजदूरों को बेकार करने की एक स्कीम है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो मजदूर हैं जो अपने उदरपूर्ति के लिए इनमें काम करते हैं, अगर हम उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए कुछ इस तरह का प्रबंध करना चाहिए जिससे इन कारखानों को पुनः स्थापित किया जा सके। जो पहले लाभ में चल रहे थे और अब घाटे

में चल रहे हैं उनको किस तरह से लाभ में लाया जाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इस पर बहुत से विचार आए हैं। इनमें जितने अधिकारी हैं वे इससे फायदा उठाते हैं क्योंकि जो अधिकारी का रिश्तेदार प्राइवेट में उद्योग लगाता है, वह उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है।

इस तरह से प्राइवेट सैक्टर को फायदा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के कारखानों को बेकार घोषित करने की कोशिश होती है। इसकी जांच होनी चाहिए। जिन अ फसरों की ऐसे नियुक्ति हुई है, उनकी नियुक्ति रद्द करनी चाहिए। इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, वे भविष्य में बंद होने चाहिएं।

पब्लिक सैक्टर में १ लाख ९१ हजार करोड़ रुपया लगा है। प्राइवेट उद्योगों में भी बहुत सा पैसा लगा है। अगर आप नए सिरे से और मई मशीनरी के साथ बीमार उद्योगों की मदद करेंगे तो राष्ट्र का भला होगा। अगर कारखाने चलेंगे तो मजदूरों को निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे यहां कोयला खनन होता है। कोयला इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को उधार पर दिया जाता है। वहां मजदूरों की छंटनी होती है। उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है क्योंकि बिजली बोर्ड पूरा पैसा नहीं देते। हमें इस पर विचार करना चाहिए। कुछ जगहों में बिजली का उत्पादन केवल ७ परसैंट ही होता है और कुछ जगहों में ४० परसैंट भी होता है। यहां भी मजदूरों को नुकसान होता है। प्राइवेट कारखाने हमेशा फायदे में जाते हैं लेकिन वहां मजदूरों का शोषण होता है। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए।

जैन साहब ने ठीक कहा कि मैनेजिंग डायरैक्टर पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि वह कारखानों को प्रॉफिट में लाएं ताकि राष्ट्र को फायदा हो। स्कीम्स में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाया जाता है। इनका उदघाटन करने के लिए उद्योग मंत्री, दूसरे मंत्री और एम.पी. लोग जाते हैं। वह वहां भाषण देते हैं और कहते हैं कि यह उद्योग कामयाब रहेगा और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन उसके नतीजे चार-पांच साल के बाद निकलते हैं तो उसमें घाटा निकलता है। आज प्राइवेट बसें प्र ाफिट में जा रही हैं लेकिन सरकारी बसें घाटे में हैं। सरकारी बिजली बोर्ड घाटे में जा रहे हैं। टेंडर सिस्टम ठीक नहीं है और ठेकेदारी का काम भी वाजिब नहीं है। यह जो प्रस्ताव आया है, इसको कम से कम एक राय से पास किया जाए। बंद कारखानों की सरकार मदद करे ताकि यह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, मजदूरों का भला हो सके और ज्यादा उत्पादन हो सके। आप अच्छे चलते हुए कारखाने दूसरों के हाथों बेच देते हैं। ऐसा करके लोगों के साथ अन्याय होता है। जिस तरह की स्कीम्स चल रही हैं और सरकार चल रही है उससे लगता है कि यह सरकार गरीबों के लिए कोई अच्छा कदम उठाने वाली सरकार नहीं है। यह गरीबों को बरबाद कर देगी। जिस की १८ पत्नियां हों और एक घरवाला हो, उसका क्या हाल होगा? वह १८ तरफ से अपने पति को घसीटेंगी। वाजपेयी जी बड़े शरीफ और अच्छे आदमी हैं। देश के सारे काम टैंडर पर देना अच्छा नहीं है।

यहां जो भी बिल लाया जाता है, उसके बारे में कम से कम दोनों तरफ से पूछना चाहिए। इस बारे में ऐसे झगड़ा होता है जैसे कारखाने के मजदूरों और मालिकों में होता है। आज मालिकों को फायदा हो रहा है। पूंजीपतियों के पास इनकम टैक्स का कितना रुपया बकाया है? उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप गरीब लोगों को तंग करते हैं। जितना वह तंग होगा, मैं उतनी आपको मुबारकवाद देना चाहूंगा।

क्योंकि गरीब आदमी को तंग करके आपकी सरकार नहीं रहेगी, जैसे आपने हमारी सरकार को हटाया था। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जो देनदारियां हैं, इस बात को समझना चाहिये कि जो ब्यूरोक्रेटस जिस कारखाने का जिम्मा लेते हैं, उसमें घाटा क्यों होता है। चाहे गुजरात की टैक्सटाइल मिलें हों या महाराष्ट्र की दूसरी मिलें हों, मजदूर चिल्ला रहे हैं और वे कहते है कि हमें रोज़गार दो। आप उनको वेतन दिये जा रहे हैं जिससे सरकारी खज़ाना खाली होता जा रहा है। उनको काम कोई नहीं है। यदि कोई कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है तो वे उसे बंद करने की कोशिश करते हैं।

सभापति जी, देश ने विदेशों से कर्जा लिया हुआ है। हालांकि सस्ते दर पर कर्जा लिया हुआ है लेकिन यहां कारखानें महंगे हो रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आप पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के कारखाने चलाना चाहते हैं तो उन सब के लिये बजट भी रखिये। जो डाकू लोग देश को तबाह करना चाहते हैं, जो इस देश की संस्कृति को बरबाद करना चाहते हैं, उनके लिये आपके पास पैसा है। इसका कारण यह है कि वे सरकार को टैक्स नहीं देते , कारखानों में नई मशीनें नहीं लगाने देना चाहते। यह बात उन लोगों को समझनी होगी। यदि आप इन बातों को समझेंगे तो यह देश आगे बढ़ सकता है।

सभापति महोदय, मैं अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां फारेस्ट कारपोरेशन बना हुआ है जिसका काम व्रक्षों की मार्किंग करना है। पांच साला योजना में वे व्रक्ष काटे जायेंगे। इस प्रकार इस साल हजारों पेड़ कट जायेंगे। कारपोरेशन के जो ठेकेदार हैं, वे उन्हें खरीद लेते हैं लेकिन बीच में बिचौलिये रखे हुये हैं। जहां जहां फारेस्ट के कारखाने हैं या सीमेंट के कारखाने हैं, वहां इस तरह का काम होता है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने हैं लेकिन लोगों को सीमेंट महंगा मिलता है और यहां के लोगों को सस्ता। क्या यह उन लोगों के साथ न्याय हो रहा है? पौलिटिकल लोगों को प्राफिट देने के लिये कारखाने लगाते हैं और उसका एग्रीमेंट हो जाता है, उसमें दस्तखत हो जाते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार पर डालनी चाहिये। जिस ब्यूरोक्रेट को इंडस्ट्री में भेजा जाता है, उसके डी.ए. और टी.ए. की जांच हो। उस ब्यूरोक्रेट की मर्जी होती है कि अपने बच्चों को कहीं भेज दे, यदि विदेश भी चला जाये तो उसे पूछने वाला कोई नहीं है। यह कहा जाता है कि मंत्री या अधिकारी का जाना इसलिये जरूरी था कि उसे नई टैक्नालाजी लेकर आना था। लेकिन जब अधिकारी वापस आयेगा और चार महीने नौकरी करेगा तो दूसरे विभाग में चला जायेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के वातावरण को इस देश से खत्म करिये।

सभापति महोदय, हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हमें अपने राष्ट्र को सामने रखकर इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि सब को इस राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। मैं आप सब से यही प्रार्थना करूंगा कि इस बात का ध्यान रखें कि जो एम.पी. लोग हैं, जब बाहर जायेंगे या मंत्री लोग बाहर जायेंगे तो जनता से संबंध नहीं होता है और जब मंत्री नहीं रहते तो लोग जानते नहीं। हमने अपने गांव में देखा है कि ब्यूरोक्रेट पब्लिकमैन को ठीक ढंग से नहीं समझता है। इस बात को समझने के लिये यह आवश्यक है कि जनता को जिस चीज से फायदा पहुंचता हो, वहीं ब्यूरोक्रेट को काम करना चाहिये। जो ईमानदार आदमी है, उसे रखना चाहिये। जो ईंमानदारी से इंडस्ट्री चलाता है, उनकी मदद करें।

17.00 hrs.

लेकिन बी.आई.एफ.आर. की बात करते हैं, उनमें भी केसेज़ पैण्डिंग पड़े रहते हैं। फिर किसी कोर्ट में मुकदमा भी नहीं चलता है। इसके लिए नीति निर्धारित करनी होगी ताकि राष्ट्र का भला हो और राष्ट्र आगे बढ़ सके।

इन्हीं शब्दों के साथ डा.असीम बाला जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और सभी लोगों से आशा करता हूं कि इसको एकमत से पास करेंगे।

सभापति महोदय :अभी तीन और माननीय सदस्यों के नाम हैं। अगर सभा की सहमति हो तो ४५ मिनट तक चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : हां, हां।

सभापति महोदय : ठीक है। सभा की सहमति से चर्चा का समय ४५ मिनट बढ़ाया जाता है।

प्रो.जोगेन्द्र कवाडे।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : माननीय सभापति महोदय, डा. असीम बाला जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उद्योगों को तंदुरुस्त बनाने के लिए जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसके लिए सबसे पहले मैं डा.असीम बाला जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, जहां तक हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सवाल है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और जब से हमारे देश में आर्थिक नियोजन का युग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने इस देश के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत बुनियादी योगदान दिया है। उस योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। कोई आदमी यदि बीमार हो जाता है तो उसको स्लो-पॉइज़निंग करके मार नहीं दिया जाता है, बल्कि दवा-दारू देकर ठीक से इलाज करके उसको जिन्दा रखने की कोशिश की जाती है। जिस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस देश की आधुनिकता को बढ़ाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए, इस देश को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए इतना बड़ा बुनियादी योगदान दिया, वे उद्योग अगर बीमार हैं तो उनको बीमार कहकर अगर बंद करने की कोशिश की गई तो मेरे ख्याल से देश के प्रति और देश की जनता के प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा और यह अपराध हमारा सदन न करे, मंत्री महोदय न करें यह मैं अपील करना चाहूंगा।

सभापति जी, हमने जब आर्थिक नियोजन की नींव डाली तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की कल्पना हमने की थी। समाजवादी समाज की संरचना की बात हमने की थी, कल्याणकारी राज्य निर्माण करने की बात हमने की थी और कल्याणकारी राज्य निर्माण करते वक्त हमारे देश के सामने एक ही लक्षय था -- बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और उस लक्षय को साकार करने के लिए हमारे देश के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए हमारे देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो औद्योगिक नीति का अवलंबन किया था, १९४८ में जो औद्योगिक नीति बनी थी, उसके बाद से उसमें काफी परिवर्तन लाए गए। उसके तहत हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बीमार चल रहे हैं और उनको सुदृढ़ बनाने, उनको तंदुरुस्त करने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश करना सरकार और हम सबका फर्ज है।

सभापति जी, हमारे देश में जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, जब से नयी आर्थिक नीति का अवलंबन हमारे देश ने किया है, हमारे देश ने ग्लोबलाइज़ेशन, प्र ाइवेटाइज़ेशन और लिबरलाइज़ेशन की नीति जब से अपनाई है, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और उपक्रम हैं, उनको दिन-प्रतिदिन घाटे में चलाकर कहीं बंद साजिश तो नहीं की जा रही है।

1704 hours [Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

मेरा आरोप है कि हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को जान-बूझकर बीमार बनाकर उनको निजी क्षेत्र में ले जाने की साजिश है ताकि इस देश में फिर वही पूंजीवाद का राज यहां आए। पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करने की साजिश इस देश में हो रही है। पूंजीवादी व्यवस्था की बुनियाद मनुवाद है। मनुवाद ने इस देश को तरक्की से रोककर रखा, विकास से रोककर रखा और इस देश में आपसी भाई-चारे को नष्ट किया, इस देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, दुनिया के सामने सर उठाकर जीने नहीं दिया। वही मनुवाद पूंजीवाद है, वही पूंजीवाद मनुवाद है। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देकर इसे फिर लाने की कोशिश की जा रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय हमारे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स की आर्थिक स्थिति सुधारने के सवाल पर कुछ सदस्य जब विरोध करते है तो मुझे इस बात का ताज्जुब होता है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, पिछली बार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया था तब उन्होंने सम्मान की बात की थी। जिस सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे उपक्रमों ने इस देश का सम्मान बढ़ाया, आज केवल बीमार होने के बहाने अगर उनको बंद करने की हम साजिश की जाती हैं, उनको बंद करने की कोशिश की जाती हैं तो देश के हित में हमारे लिये यह ठीक नहीं होगा। हमारी सरकार की जो सामाजिक न्याय की नीति है, हमारे देश की जो सामाजिक न्याय की नीति है, हमारे देश के संविधान ने इस देश की जनता के प्रति जो अपनी जवाबदेही दे रखी है, उसके प्रति यदि हम सम्मान नहीं रखेंगे तो यह ठीक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बी.आई.एफ.आर. की बात हो रही थी। हमारे एक साथी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि जो सरकारी क्षेत्र में चलने वाले उद्योग घाटे में चलते हैं, वह सरकारी क्षेत्र के उद्योग यदि निजी क्षेत्र में चले जाते हैं तो फायदे में चलने लग जाते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। सरकारी क्षेत्र में जो अधिकारीकाम करते हैं यदि वे अफसर निजी क्षेत्र में चले जाते हैं तो वह निजी क्षेत्र फायदे में चलने लग जाता है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अधिकारी वर्ग और जो ब्यूरोक्रेसी हैं, वह ईमानदारी के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है इसका इन्वेस्टीगेशन करना भी बहुत जरूरी है। उसके बगैर काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन यह इस देश के लाखों मजदूरों की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ सवाल है, इस देश के आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योग आज सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो के भरोसे पनप रहे हैं। हमारे बैंकिंग सैक्टर का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। हम निजी क्षेत्र के उद्योगों को बैंकिंग सैक्टर से लोन देते हैं, तब कही जाकर निजी क्षेत्र के उद्योग पनपते हैं। जो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम है क्या वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का पुनर्निर्माण, पुनर्वास, आधुनिकीकरण नहीं कर सकता? आप निजी क्षेत्र में विदेशी सहायता दे सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि बजाज आटो लि. को विदेश में सहायता लेने की इजाजत दी जाती है । लेकिन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को इस प्रकार की परमीशन आज तक आपने क्यों नहीं दी? इस प्रकार के ज्वाइंट सैक्टर का लाभ हम सार्वजनिक क्षेत्र को भी दिला सकें तो मेरा ख्याल है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो आज बीमार पड़े हैं, वे अच्छी तरह से चल सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बी.आई.एफ.आर. की नीति पर फिर से विचार करना जरूरी है। चूंकि बी.आई.एफ.आर. के द्वारा इन उद्योगों को चालू रखना है, मदद करना है और किसको मदद देनी है और किसको नहीं देनी है, यह नीति तय करते समय भी यह देखा जाए, जैसा कि श्री सुलतानपुरी जी ने कहा कि किन उद्योगों को चालू रखने के लिए मदद दी जाए या नहीं दी जाए, यह तय करते समय भी कौन सा क्राइटीरिया फिक्स होता है, इस बात को भी तय करना निहायत जरूरी है। जहां हम सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल ऑब्लीगेशन की बात करते हैं। सार्वजनिक उपक्रम को चलाना सोशल ऑब्लीगेशन है, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और किसी भी हालत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बंद नहीं करना चाहिए। हमारे एक साथी श्री मोहन सिंह ने कहा कि इन सार्वजनिक उद्योगों को बंद करने में जितना खर्च आता है, उससे कम खर्च इन उद्योगों के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण में आता है, यह बात सही है इसलिए इस बात पर गौर किया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसकी लिस्ट हमारे साथी ने यहां पढ़कर सुनाई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिन उद्योगों की लिस्ट दी जिनको आप बन्द करना चाहते हैं जिनमें हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स, सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया आदि आपने दिए हैं, जिनको बन्द करने की हमारे मंत्री महोदय ने घोषणा की है। इस बारे में मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि इनमें से कुछ उद्योग आज भी ऐसे हैं जिनमें यदि ठीक ढंग से व्यवस्था की जाए, जिनका मैनेजमेंट ठीक किया जाए, साइंटीफिक मैनेजमेंट हो और कामर्शियल तरीके से चलाएं, तो वे फायदे में चलेंगे और देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां राष्ट्रभक्ति की बात कही गई है, मैं कहना चाहता हूं कि यह दिखाने की चीज नहीं है, यह तो वह चीज है जब वक्त आता है, तब यह हमारी व्यवस्था से, शासन की व्यवस्था से दृष्टिगोचर होती है। देश में आज जो स्थिति है उसमें हम देखते हैं कि हम अपने में ही सीमित रह जाते हैं, दूसरों की भलाई नहीं देखते। हमारे अफसर, ब्यूरोक्रेसी, सांसद, सामान्य व्यक्ति में, सब में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी है और उसी भावना को लेकर देश में सार्वजनिक उद्योगो का निर्माण हुआ है और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत बड़ी बात सामाजिक न्याय तथा इस देश के उपेक्षित तबके के साथ जुड़ी हुई है, उसे मैं इस चर्चा के बहाने इस सदन तथा देश के समक्ष रखना चाहता हूं और वह यह है कि सार्वजनिक उद्योगों को बन्द करके देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के आरक्षण का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बन्द करके उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। हमारे महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में नागोठणे नामक स्थान पर एक आई.पी.सी.एल. नाम की कंपनी है जिसे इंडियन पेट्रो केमीकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता है। हमने उसके बारे में रसायन, खाद एवं उर्वरक एवं नागरिक उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी को एक पत्र लिखा था। वहां के कर्मचारी और अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया और बताया कि आई.पी.सी.एल. को निजी क्षेत्र को बेचने की कोशिश की जा रही है। हमने बरनाला जी को पत्र लिखा।

बरनाला जी ने बड़े साफ शब्दों में उत्तर दिया। मैं उनके पत्र से उद्धरण कोट करना चाहता हूं-

"As you are aware, the Government had set up a Public Sector Disinvestment Commission in 1996 to advise on disinvestment of Government share holding. The Disinvestment Commission has recommended that the Government should disinvest in IPCL and also make over the management control in favour of strategic buyers identified through the procedure of global tenders. The Government has since accepted this recommendation with the proposed disinvestment in IPCL. The Company would no longer be a Government Company within the ambit of Companies Act, 1956 and (this is more important) hence not obliged to follow the reservation policy in employment."

अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उस प्रकार से बन्द कर दिया जाता है, बीमार होने के नाम पर उनका निजीकरण कर दिया जाता है, निजी क्षेत्र में अगर उनको धकेल दिया जाता है, तो इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों के लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसको नष्ट करने की साजिश इस बहाने से सरकार करने जा रही है, वह नहीं होनी चाहिए।

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े जारी इसीलिए मैं सदन से और मंत्री महोदय से यह गुजारिश करूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जिन्होंने इस देश की रचना में, इस देश के ि वकास में, इस देश की तरक्की में योगदान दिया है, केवल बीमार होने के कारण उनको हम नष्ट न होने दें, बल्कि उनको सब प्रकार की सुविधा देकर, उनको फिर से तन्दरुस्त बनाकर, उनको अपने पांव पर खड़ा करके देश के आर्थिक विकास में योगदान देने का उनको मौका प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं असीम बाला जी को धन्यवाद देता हूं। आपको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI V.V. RAGHAVAN (TRICHUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the entire House is grateful to Dr.Asim Bala for bringing forward this most burning issue before the House and before the Government.

It is high time that all of us closely pondered over this issue. We have to not only revive the sick units but also prevent more and more units from falling sick. When we think of the entire industrial sector including the sick units and the healthily running units, we find that our industrial growth is slackening. It is a fact that it is alarmingly slackening. What is the real reason for this? In my humble opinion, as far as my knowledge goes on economic policies, this happens because of the economic policy that the Government of India followed for some years. I am talking not only of this Government alone. Unless we think of some changes in our economic policy, we will not be able to revive the sick units, we will not be able to prevent more and more units from falling sick and we will not be able to take our industrial growth on the right track.

Our hon. Finance Minister has declared so many incentives and programmes to get our industrial growth on the right path. I am afraid, all these incentives will not do any help unless we change our economic policy.

Look at the Import Policy. We have liberalised our Import Policy. That is one of the main reasons for this slackness. We open up our markets to the multinational companies of the developed countries. When we open up our market to the multinational companies, they are capturing the market and dumping it on us. How can our industrial growth go on increasing? How can we prevent our units from falling sick?

Let me cite a small instance from my State of Kerala. Sir, you know about the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, the FACT. It was a prestigious unit for us. But gradually our Import Policy of bringing down the import duty on caprolactam year by year has resulted in that unit facing a crisis. Even in this year's Budget, despite our representations, our hon. Finance Minister has reduced the duty by five per cent more. That has led the FACT, the Travancore Titanium and other units to land in a very deep crisis. I do not know how they can survive.

That is a small instance. We are reducing the import tariff for so many items. I am not pleading for protectionism. But we must think of some protection if our industry is to grow. Because we know that the cut-throat competition is going on.

Here, I must say that our hon. Finance Minister has said about the integration of the world economy. How can it be possible in the present world? There are inherent contradictions between the developed and developing countries and that contradictions are not a smooth one. It involves every nation's interest. We have a share of 99 crore population in the world population. Our interests are very much involved in this cut-throat competition. If we integrate our economy with those of the highly developed countries it is they and they alone will benefit, not us. We will have to lose so many things. It is true that our hon. Finance Minister has no role in signing the WTO. But even now, within the WTO clauses and obligations, we have to put up a fight? Are we to succumb to all those pressures? Look at the European Union. The United States and the European Union are allies. Yet,they are putting up a stern fight. Even yesterday we saw, they are not succumbing. They are fighting the U.S.A's 301 and other acts. The United States is out to dominate the entire market, the entire economy. They are dominating on the political level also and it is a tragedy. The mighty Indian nation - I say `mighty' because we have a tradition of fighting these forces. We fought them for 200 years for Independence and we have the capacity to fight. In this present world we are not alone. Can we not go as far as Malaysia has gone? Malaysia is fighting them. Why do we succumb to the WTO obligations with the American pressure? Under the pressure we are reducing the import duties and giving our market to those multinationals.

We have a very prestigious electronic Corporation - KELTRON. You know that. What is the present state of the most prestigious corporation because of the cut-throat competition? They do not lack any technological or scientific knowledge. They are having them. But under the cut-throat competition from external countries and under the compulsion of the WTO clauses, we are going back and back. We find it very difficult to survive. So, looking at this picture, the very tragic picture of our industrial growth and looking at the pitiable condition of the sick units and those on the edge of falling sick, are we not obliged to do something to change our policy boldly? If you cannot do that, the whole industrial growth will never improve. I see from the Budget and I see from the Policy Statement of our hon. Industry Minister that they are not in the mood of fighting back. They are succumbing on every point.

Sir, if we look at the globalisation programme pursued by the United States of America, it will be clear that they are compelling us to do certain things. The hon. Minister has projected a very rosy picture about our pharmaceutical sector. But I cannot share his optimism. When the Government amends our laws, especially Acts like the Patents Act for giving Exclusive Marketing Rights for the products of companies of other countries, the rosy picture projected by the Minister will not be there. We are amending our Patents Act for opening up our market to others. What is the need for allowing Exclusive Marketing Rights now? It is not obligatory for us to do that and even according to the WTO clause, there is no need to give them Exclusive Marketing Rights now. We can make them patentable. We have one year left now before we take any decision on this. When we give Exclusive Marketing Rights for the products of other countries which are part of WTO, what will be our fate? The Minister has said that there would be some control on them. I do not know how the Government can have control on them. If the Government is succumbing to the pressure like this, how can they have control on them and how can they safeguard our pharmaceutical companies?

Sir, our country's present population is 99.26 crores and even for the child that is just born, pharmaceutical products are very much required. Ours is a vast market. The United States of America is very particular that we should amend our Patents Act and allow them our vast market for their products. We are succumbing to their pressures. It is not in the interest for our country. I am very much pained at the fate of 99 crores of our brothers and sisters. The Government has particularly safeguarded our corporate houses, our monopoly houses and I am thankful that the hon. Minister has openly said that he does not want to curb the monopoly, but he wants to amalgamate them and let them grow further.

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, कोरम भी नहीं है। हम लोगों को आप बिठाए हुए हैं। कोरम कहां है?

... (व्यवधान)

हमें बोलना पड़ेगा कि कोरम नहीं है। क्या बिना कोरम के लोक सभा चलाएंगे; ऐसा भी कहीं होता है? यह भी नयी बात है। मैजोरिटी सरकार की भी ड्यूटी है कि वह अपना कोरम बनाकर रखें। अब चेयर जानें और फैसला ले।

... (व्यवधान)

17.29 hrs
MR. DEPUTY-SPEAKER: The bell is being rung--
MR. DEPUTY-SPEAKER: As there is no quorum, the House stands adjourned to meet again on Monday, the 8th March, 1999 at 11 a.m.
17.36 hrs
The Lok Sabha then adjourned till Eleven
of the Clock on Monday, March 8, 1999/Phalguna 17, 1920 (Saka).